बृहस्पतिवार,
१८ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम घाटी का तेल सर्वेक्षण

***८८. श्री अमजद अली : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आसाम घाटी में पैट्रौलियम को खोजने के लिये त्रिमुखी भू-भौतिकीय परिमाप के लिये आसाम में तीन हैलीकाप्टर के साथ हाल में एक विमान (पर्सिवल प्रिंस) भी बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार की अनुमति से किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् ।

श्री अमजद अली : मैं जान सकता हूं कि ऐसा किन परिस्थितियों के अधीन किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : समझौते के अन्तर्गत, आसाम आयल कम्पनी को वायु-परिमाप के लिए कुछ विमान आयात करने का अधिकार था और इसीलिए उसे एक विमान और मिला।

श्री अमजद अली : क्या वह अपनी जांच के परिणाम सरकार को प्रस्तुत करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, । समझौते के अन्तर्गत सर्वेक्षण और सब आवश्यक परिगणनाओं की समाप्ति के बाद, सर्वेक्षण सम्बन्धी सब रिकार्ड, नकशे और विमान से लिये गये फोटोग्राफ सरकार को दे दिये जायेंगे।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई भारतीय टेकनीशियन भी इस सर्वेक्षण दल के साथ सम्बद्ध किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी दल के साथ जाना पड़ा था।

श्री अमजद अली : क्या सरकार के लिए यह बतलाना संभव है कि अपने सर्वेक्षण के फलस्वरूप उसने अब तक क्या सामाग्री इकट्ठी की है ?

श्री के० डी० मालवीय : सर्वेक्षण के परिणामों की अभी कम्पनी द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या किन्हीं तेल भूतत्ववेत्ताओं को इस दल के साथ सम्बद्ध किया गया है ? यह प्रश्न

तब उठा था जब एक पहले माननीय सदस्य ने तेल टेकनीषियनों की ओर निर्देश किया था। निर्देश सरकारी अधिकारियों की ओर नहीं था।

श्री के० डी० मालवीय : टेकनिकल पदाधिकारियों को सम्बद्ध किया गया था। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि वह तेल सम्बन्धी भूतत्ववेत्ता था या नहीं।

अफ़ीम

***८९. श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ से प्रशुल्क अधिकारियों द्वारा जो प्रतिषिद्ध अफ़ीम पकड़ी गई है उसकी मात्रा और लागत क्या है ?

(ख) इस अवधि में कितने व्यक्तियों को गिरफ़तार किया गया है और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५३ पत्री वर्ष में १०५ मन ,३७ सेर और ७८ तोला अफ़ीम, जिसका मूल्य लगभग २ १/२ लाख रुपये है, पकड़ी गई थी।

(ख) १९५३ के वर्ष के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन मामलों में लोग मुकदमेबाज़ी से छूट गये या बरी हो गये हों, उन में जो अफ़ीम पकड़ी गयी उस का क्या हुआ ?

श्री ए० सी० गुहा : वह अफ़ीम ज़ब्त कर ली गई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन मामलों में बरी हो गये हों, क्या वह अफ़ीम भी पकड़ ली गई?

श्री ए० सी० गुहा : किसी भी अफ़ीम को, जो प्रतिशिद्ध अफ़ीम के रूप में पकड़ी गई है, अवश्य ज़ब्त कर लिया गया होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, जहां पर अफ़ीम को इस तरह से ले जाने का काम चलता रहा और इस का अन्त करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किये ?

श्री ए० सी० गूहा : कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अफ़ीम की खेती की जाती है। मेरे विचार में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, इन में से कुछ क्षेत्रों में तस्कर व्यापार अधिक होता है। और उन क्षेत्रों में जिन में तस्कर व्यापार होने का शक किया जाता है, सरकार इस खेती को शनैः शनैः कम करती जा रही है। सरकार की नीति यह है कि इन क्षेत्रों में अफ़ीम की खेती को शनैः शनैः बन्द कर दिया जाये। अन्य वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये जिन तरीकों और प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उन का प्रयोग यहां भी किया जाता है। अफ़ीम के सम्बन्ध में, सरकार वास्तव में तीन प्रकार से उपाय करती है : पहला उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां अफ़ीम की खेती की जाती है ; दूसरा अन्तर्राज्यीय तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में, अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में सब अवस्थानों पर तस्कर व्यापार को बन्द करने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीय आय

***९०. श्री बंसल** : क्या **वित्त** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५३, को पूछे गये तारांकित प्रश्न के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय आय एकक ने वर्ष १९४८-४९ के बाद के वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय का हिसाब लगा लिया है ;

(ख) यदि लगा दिया है, तो कितने वर्षों के लिये ; तथा

(ग) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिये प्रति व्यक्ति आय ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लिए।

(ग) १९४८-४९ के लिए २४६·९ रुपये (पुनरीक्षित प्राक्कलन); १९४९-५० के लिए २५३·९ रुपये। १९५०-५१ के लिए २६५·२ रुपये।

श्री बंसल : १९४८-४९ के आंकड़ों का पुनरीक्षण किस लिए किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : टेकनिकल कारणों से। नवीन सामग्री प्राप्त हो गई थी।

श्री बंसल : क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन में खाद्यान्न के उत्पादन में हुई २०, २५ प्रतिशत वृद्धि, जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में किया था, का आगणन भी कर लिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह रिपोर्ट सरकार द्वारा तय्यार नहीं की गई है। इसे सरकार के पास भेजा जा रहा है। यदि माननीय सदस्य कुछ दिन और प्रतीक्षा कर सकें तो यह रिपोर्ट उनके हाथ में होगी और वह विस्तार के साथ यह जान सकेंगे कि किन कारणों से प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया गया है तथा किन शीर्षों का पुनरीक्षण किया गया है।

श्री मुनिस्वामी : क्या राष्ट्रीय आय समिति नाम की कोई समिति है, और यदि है तो उसके सदस्य कौन कौन से हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस नाम की समिति है और इस रिपोर्ट पर उन्होंने १४ फरवरी, १९५४, को हस्ताक्षर किये हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या इन आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता है कि योजना के तीन वर्षों के कालान्तर में प्रति व्यक्ति आय में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है अतः आयोजन नितान्त निष्फल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न के साथ निष्कर्षों का मिश्रण कर रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह कहना तो चाहूंगा कि आंकड़ों के आधार पर कुछ सुधार हुआ है परन्तु सम्भवतः यह सत्य ही है कि वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

रुई का आयात

*९१. **श्री बहादुर सिंह :** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में भारत में आयात की गई विदेशी रुई की मात्रा तथा मूल्य, प्राप्य आंकड़ों के अनुसार ; तथा

(ख) इस आयातित रुई पर लगाया गया शुल्क ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) पहली अप्रैल, १९५३, से ३१ दिसम्बर, १९५३, तक भारत में आयात की गई विदेशी रुई की मात्रा तथा मूल्य क्रमशः ८८,२९१ टन तथा ३९,१६,०३,६६३ रुपये है।

(ख) इस आयातित रुई पर लिए गये शुल्क की राशि २,७०,०३,००० रुपये है।

श्री बहादुर सिंह : क्या यह रूई किसी ऐसी विशेष प्रकार की है जो भारत में पैदा नहीं की जा सकती थी, और यदि ऐसा है तो किन किन देशों से इसका आयात किया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : केवल लम्बे रेशे वाली रुई का आयात किया जाता है और इस विषय में भी सरकार यथासम्भव उसकी जगह भारत में उत्पादित छोटे रेशे वाली

रुई से काम चलाने का प्रयत्न कर रही है। इससे आयात कम हो जायेगा । इस लम्बे रेशे वाली रुई का आयात मुख्यतः (पश्चिमी) पाकिस्तान, पश्चिमी केन्या, टांगानीका, मिस्री सूडान, मिश्र, यू० एस० ए० तथा पीरू से किया जाता है और थोड़ी मात्रा में कुछ एक अन्य देशों से भी किया जाता है।

श्री बहादुर सिंह : क्या वसूल किए गए शुल्क का कुछ अंश वापस लौटा दिया गया है, और यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि हाल के समुद्र वहिःशुल्क (संशोधन) विधेयक की धारा ४३ (ख) के अन्तर्गत, आयात की गई रुई से तैयार तथा निर्यात की गई कुछ प्रकार की सामग्रियों पर शुल्क का कुछ अंश वापस लौटा देने की अनुमति दी जाती है। किन्तु अभी तक कुछ भी वापस नहीं मांगा गया है न वापिस किया गया है, क्योंकि निर्यातकों को निर्यात के छः माह के अन्दर अपनी मांगे प्रस्तुत करने का अधिकार है और वह समय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अतः हमने अभी तक कुछ भी वापस नहीं लौटाया है।

श्री बी० एन० मूर्त्ति : क्या लम्बे रेशे वाली कपास बोने के लिये भारत में कोई प्रयत्न किये गए हैं, और यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है और लम्बे रेशे वाली कपास की कुछ मात्रा भारत में उत्पन्न की जा रही है।

मंत्रियों पर चिकित्सा व्यय

*९२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **गृह कार्य** मंत्री १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में केबिनेट के मंत्रियों राज्यों के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों पर भारत तथा विदेश में किया गया चिकित्सा व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०**]

ठाकुर लक्ष्मन सिंह चरक : क्या मंत्री गण अस्पतालों में से एक वर्ष अधिकतम कहां तक निःशुल्क चिकित्सा करवा सकते हैं ?

श्री दातार : इसके लिये कोई निश्चित सीमा नहीं है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या सरकार इन सुविधाओं को संसद् सदस्यों को उपलब्ध कराने की उपयुक्तता पर विचार कर रही है ?

श्री दातार : यह संसद् के अधिकार में है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं मंत्रियों की तुलना में केन्द्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति किया गया व्यय कितना था, जान सकती हूं ?

श्री दातार : जहां तक इस तुलना का सम्बन्ध है मेरे पास अभी तक आंकड़े नहीं हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि इस संसद् की गृह समिति ने उन संसद् सदस्यों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं जिनको बहुत दूर से आना पड़ता है ?

श्री दातार : जहां तक मुझे ज्ञात है, हमको वे सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्रीमती रेंणु चक्रवर्ती : क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति ही जब कभी चिकित्सा के लिये विदेश भेजे जाने की आवश्यकता होती है तो केबिनेट के मंत्री भी सरकारी डाक्टरों के परामर्श से ही भेजे जाते हैं

श्री दातार : यह प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है। कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जिनके अनुसार पहले उन्हें व्यय करना पड़ता है और बाद में सरकार वह राशि उन्हें वापस दे देती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह नहीं है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के किसी इलाज के लिये, जिसके लिये सरकार को खर्च उठाना पड़ता है, सरकारी डाक्टरों को सिपारिश करनी पड़ती है। क्या मंत्रियों के मामले में सरकारी डाक्टरों को सिपारिश करनी पड़ती है या वे अपनी इच्छानुसार विदेश चले जाते हैं ?

श्री दातार : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है। इस प्रश्न का सम्बन्ध मंत्रियों से है। माननीय सदस्य तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में पूछ रही हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं तो मंत्रियों के विषय में ही पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में डाक्टर को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उनका यह इलाज किया जाना चाहिये। क्या मंत्रियों के बारे में भी ऐसी ही बात है ?

श्री दातार : जी हां,।

बर्मा द्वारा चुकाया गया ऋण

*९३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से लिये गये ऋण में से बर्मा सरकार ने १९५३ में कितनी धन राशि चुका दी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : कुछ भी नहीं।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस साल कुछ नहीं मिला है, या अब तक जो हमारा रुपया उन पर बाक़ी है, वह मिलता ही नहीं रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस विषय में उच्चतम स्तर पर वार्ता चल रही है और यथासम्भव शीघ्र ही संसद् को इसके परिणाम की सूचना दी जायगी।

श्री जी० पी० सिन्हा : वित्त मंत्री ने अभी बतलाया कि हिन्दुस्तान और बर्मा के बीच बातचीत हो रही है, तो क्या यह नेशनल डेट बर्मा से मिलने वाले चावल के दाम में एडजस्ट किया जायगा ?

श्री सी० डी० देशमुख सम्भव है, अगर बर्मा की सरकार उस ऋण का भुगतान उससे कर सकती है, तो वह ज़रूर करेगी।

राष्ट्रमण्डलीय वित्तमंत्री सम्मेलन

*९४. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५४ में सिडनी में जो राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्री सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या स्टर्लिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में १९५४ की भुगतान अवशेष स्थिति के बारे में किन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी ; तथा

(ग) किन प्रस्तावों को मान लिया गया था ?

वित्तमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नौ देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ख) तथा (ग). माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उस वक्तव्य की प्रतीक्षा करें जिसे मैं सदन में शीघ्र ही दूंगा।

सरदार ए० एस० सहगल : भारत को इस साल जो क़र्ज़ा लेना है, क्या उसके ऊपर वहां कोई चर्चा हुई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह मेरे वक्तव्य की प्रतीक्षा करें।

श्री टी० एन० सिंह : क्या माननीय वित्त मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि उस सम्मेलन में किये गये निणयों के परिणामस्वरूप भारत पर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व तो नहीं आ जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या वित मंत्री ने, जिन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया था, सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि ऐसा है, तो सरकार को प्रस्तुत की गई उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वस्तुतः आप सदन में एक वक्तव्य देने वाले हैं ।

श्री सी० डी० दशमुख : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : सम्मेलन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री सदन में एक वक्तव्य देने वाल हैं ।

श्री बी०एस० मूर्त्ति : मेरे प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के उपरान्त ।

भारतीय वायुसेना कर्मचारी

*९५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि नवम्बर, १९५३ में जब दिल्ली में क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था तो भारतीय वायुसेना के वर्दीधारी कर्मचारियों से प्रहरी का काम लिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो ग़ैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित उत्सवों में काम करने के लिये भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के उपयोग किये जाने का कारण क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) नहीं, वास्तव में, दिल्ली के क्रिकेट टेस्ट मैच के प्रबन्ध में सहायता करने की प्रार्थना वायुसेना मुख्यालय के पास आई थी । दिल्ली में उपस्थित वायुसेना कर्मचारियों में से जिन व्यक्तियों ने दिल्ली क्रिकेट संघ की सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी उनको ऐसा करने के लिये आज्ञा दे दी गई थी ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान, समाचार पत्रों में प्रकशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यह वायुसेना कर्मचारी, वर्दी पहने हुये, प्रहरी का काम कर रहे थे तथा ऐसे कार्यों के लिये उनके उपभोग किये जाने का कारण संभवतः यह था कि टेस्ट मैच उपसमिति के सभापति रक्षा मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव थे ?

श्री त्यागी : यह पत्रों के समाचार का प्रश्न ही नहीं है । उन्हें टेस्ट मैच के लिये स्टेडियम में प्रहरी के रूप में भेजा गया था ।

श्री आर० एन० रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्दियों का प्रयोग क्यों किया गया था ? प्रश्न तो केवल यही है ।

श्री त्यागी : वे वर्दी पहने हुये थे ।

अध्यक्ष महोदय : **वे वर्दी क्यों पहन हुए थे ?**

श्री त्यागी: वे वर्दी पहने हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय : वे सरकारी काम पर नहीं थे । तब वे वैर्दी क्यों पहने हुऐ थे ?

श्री त्यागी : उन्हें वर्दी में ही भेजा गया था । वास्तव में क्रिकेट संघ ने हम से सहायता करने की प्रार्थना की थी । इस लिये उन को वर्दी में ही भेज दिया गया इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें भेजा तभी गया जब उन्होंने स्वयं सहायता करने की इच्छा प्रकट की ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: चूंकि असैनिक प्रहरियों को कुछ रुपया दिया जाता था तथा दोपहर के बाद का भोजन भी दिया जाता था, इस लिये, क्या मैं जान सकता हूं कि वायुसेना कर्मचारियों के इस प्रकार कार्य करने से जो बचत हुई, उसका लाभ, वास्तव में, किस संस्था ने प्राप्त किया ?

श्री त्यागी: उनके दोपहर के बाद के भोजन के परिवहन का व्यय क्रिकेट संघ द्वारा दिया गया था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या इस प्रकार सेवा करने के उपलक्ष में उन को कोई उपलब्धियां प्राप्त हुईं ?

श्री त्यागी: नहीं । क्रिकेट संघ ने उनको अपने परिवार अन्दर लाने के लिये निःशुल्क पास देने की केवलमात्र रियायत दी थी ।

नीचे दर्जे के क्लर्क

*९६. **श्री टी० बी० विठ्ल राव**: क्या **वित्त** मंत्री १८ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि, केन्द्रीय सचिवालय तथा उससे सम्बन्धित दफ्तरों में काम करने वाले, नीचे दर्जे के क्लर्कों के वेतन क्रम ऊंचे करने के लिये, किये गये अभ्यावेदन पर, कोई निर्णय किया जा चुका है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री एम० सी० शाह: बहुत शीघ्र ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि मध्यम वर्ग अखिल भारतीय निर्वाह व्यय देशनांक तय्यार करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह: इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

*९७. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): माननीय सदस्य का ध्यान श्री डी० सी० शर्मा द्वारा १८-११-५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है । उसमें उल्लिखित समिति ने विचार-विनिमय पूरा कर लिया है और उस के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने अपनी २१वीं वार्षिक बैठक में, जो कि ७ से ९ फरवरी, १९५४ तक हुई थी, विचार कर लिया है । सरकार बोर्ड की सिफ़ारिशों पर यथासमय विचार करेगी ।

श्री झूलन सिन्हा: मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को इन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

डा० एम० एम० दास: केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने गत सप्ताह ही अपना विचार विनिमय समाप्त किया है । सरकार को इन सिफ़ारिशों पर विचार करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या विदेशी विशेषज्ञों तथा भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का एक दल इस बात का अध्ययन करने के लिये कि आयोग की सिफ़ारिशों को भारत में किस हद तक लागू किया जा सकता है विभिन्न देशों का भ्रमण कर रहा है ?

डा० एम० एम० दास: हां, श्रीमान् । विदेशी विशेषज्ञों तथा कुछ भारतीय विशेषज्ञों का एक दल विश्व के कई देशों जैसे ब्रिटेन,

डेन्मार्क और अमेरिका का भ्रमण कर रहा है। परन्तु उनका उद्देश्य उन स्थानों में माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना और यह देखना है कि वहां के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को किस ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है। वे शीघ्र ही भारत आयेंगे और सरकार उन की सिफ़ारिशों पर विचार करेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड तथा शिक्षा बोर्ड ने सारे भारत के अध्यापकों के वेतन स्तर के प्रश्न पर विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से अपनी सिफ़ारिशों में विशेष रूप से इस विषय पर विचार करने के लिये एक समिति बनाने की प्रार्थना की है।

बिक्री कर

***९९. श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री १४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को अपनी बिक्री-कर सम्बन्धी विधियों में उपयुक्त परिवर्तन करने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये थे उन के बारे में क्या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में और क्या कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान्, ये सुझाव अन्तर्राज्य व्यापार के सम्बन्ध में बिक्री-कर लगाने के बारे में थ। उड़ीसा के अतिरिक्त सब राज्यों सरकारों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, उड़ीसा के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ११ फरवरी, १९५४ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति जिस में सरकार द्वारा इस विषय में की गई कार्यवाही दी हुई है, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २१**]

श्री एस० एन० दास : इस प्रेस विज्ञप्ति से, जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी गई है, यह प्रतीत होता है कि कुछ राज्य सरकारों ने उक्त सूत्र को नहीं स्वीकार किया है। क्या यह मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से राज्य इस सूत्र से सहमत नहीं हुए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : उड़ीसा को छोड़ कर जिस से हमें अभी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है और पश्चिमी बंगाल की सरकार के अतिरिक्त जिस ने यह उत्तर दिया है कि अन्तर्राज्य व्यापार विनिमयों पर उन का करारोपण का विचार नहीं है, शेष सब राज्य इस से समहत हो गये हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या बिक्रीकर के बारे में एक समान विधि बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया है ?

श्री एम० सी० शाहह : यदि माननीय सदस्य अन्तर्राज्यीय सौदों पर लिये जाने वाले बिक्रीकर की बात कह रहे हैं तो उस सम्बन्ध में हम अभी तक सूत्र बताने का प्रयत्न ही कर रहे हैं। राज्य सरकारों से हम परामर्श कर रहे हैं और उसके बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सामान्य बिक्रीकर विधि के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह बिक्री कर का मामला

राज्य सरकारों का विषय है और आवश्यक वस्तुओं पर लिये जाने वाले बिक्री कर से ही केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है । अनुच्छेद २८६ के अधीन अन्तर्राज्यीय सौदों पर लिये जाने वाले बिक्री कर से भी हमारा सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध में हम कार्य नहीं कर रहे हैं ।

विज्ञान पुस्तकालय

*१००. **श्री बी० सी० दास**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतवर्ष में कोई केन्द्रीय विज्ञान पुस्तकालय है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : नहीं ।

श्री बी० सी० दास: क्या इस प्रकार का पुस्तकालय बनाने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

डा० एम० एम० दास: नहीं ।

श्री बी० सी० दास: क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के पुस्तकालय अपर्याप्त हैं ?

डा० एम० एम० दास: इस प्रश्न के बारे में सदन के समक्ष मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा प्रयोगशालाओं के पास पुस्तकों से सुसम्पन्न पुस्तकालय हैं और वैज्ञानिक इन पुस्तकालयों से लाभ उठाते हैं ।

नौकरी दफ्तर

*१०१. **श्री केशवैयंगार** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नौकरी दफ्तरों को अधिसूचित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये प्राथमिकता का कोई ज्ञापन जारी किया गया है ?

(ख) क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) क्या देश के सभी नौकरी दफ्तरों में इस ज्ञापन का पूर्णतया पालन हो रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) समय समय पर जारी की गई हिदायतों की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ग) रिक्त स्थानों की सूचना देने वाले विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों को नामों की सूची भेजते समय ये नौकरी दफ्तर ऊपर निर्देशित कार्यालय के ज्ञापन का पूरा पूरा पालन करते हैं ।

श्री केशवैयंगार : जहां इन प्राथमिकताओं का पालन नहीं किया जाता उन मामलों में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

श्री दातार : उस स्थिति में सामान्य नियमों का पालन किया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन नौकरी दफ्तरों के बारे में शिव राव समिति ने कोई प्रतिवेदन दे दिया है ?

श्री दातार : शिव राव समिति ने श्रम-मंत्रालय को जिसने कि इस की नियुक्ति की थी अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

श्री दाभी : प्राथमिकता किस प्रकार निश्चित की जाती है ?

श्री दातार : विभिन्न ज्ञापनों में प्राथमिकता का उल्लेख है । क्या मैं उन्हें पढ़ कर सुनाऊं ? यह बहुत लम्बी सूची है ।

श्री दाभी : मैं यह जानना चाहता था कि किस आधार पर वे निश्चित की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

हैदराबाद में निर्यात शुल्क

*१०२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या राज्य मंत्री दिनांक ९ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद सरकार इच्छानुसार सरकार ने निर्यात शुल्क की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी है; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) एक वर्ष के लिये, अर्थात् १९५४-५५ के अन्त तक ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : १९५२-५३ में इस राज्य की कुल आय कितनी थी ?

डा० काटजू : सीमा शुल्कों द्वारा ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : हां ।

डा० काटजू : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं । आयात तथा निर्यातों को मिला कर वह लगभग ३ से ४ करोड़ तक है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : संविधान के अनुसार, हैदराबाद भाग 'ख' राज्य होने के कारण अभी छः वर्ष तक इस प्रकार का शुल्क वसूल कर सकता है । मैं जान सकता हूं कि क्या छः वर्षों तक इस अवधि को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

डा० काटजू : हैदराबाद के साथ चार वर्षों के लिये समझौता किया गया था । अन्य राज्यों के साथ पांच वर्षों के लिये समझौता किया गया था । अब निर्णय किया गया है कि सारे राज्यों के साथ पांच वर्षों के लिये समझौता किया जाये, अतः इस प्रश्न पर कुछ समय के बाद विचार किया जायेगा ।

श्री हेडा : क्या ऐसी कुछ वस्तुएं निश्चित की गई हैं न पर हैदराबाद सरकार निर्यात शुल्क वसूल कर सकती है तथा यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

संगठन तथा कार्य-प्रणाली विभाग

*१०३. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा एक "संगठन तथा कार्यप्रणाली विभाग" स्थापित करने के निर्णय को तथा एपिलबी प्रतिवेदन में सिफारिश की गयी लोक-प्रशासन संस्था की स्थापना को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये दोनों संगठन किन मंत्रालयों के अन्तर्गत होंगे ?

(ग) ये दोनों संगठन किस प्रयोजन के निमित्त स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) उक्त प्रतिवेदन में की जाने वाली और किन किन सिफारिशों पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). संगठन तथा कार्य प्रणाली विभाग का प्रभारी डायरेक्टर मंत्रिमंडल सचिवालय में १ मार्च, १९५४ से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा । जैसे जैसे इस विभाग का कार्यवाइयों में विस्तार होगा, इसके कर्मचारिवर्ग की संख्या बढ़ा दी जायेगी । इसका समान्य कार्य सरकार की विभिन्न शाखाओं का एक निरंतर तथा आलोचनात्मक निरीक्षण करते रहना तथा उनकी कार्यप्रणाली को देखते रहना है । इस विभाग की कार्यवाइयों का अधिक विस्तृत व्यौरा पंचवर्षीय योजन के अध्याय ६ के पैरा २१ में मिलेगा ।

लोक प्रशासन संस्था, लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों का एक स्वायत्त संघ होगा तथा १८६० के २१वें अधिनियम के अन्तर्गत 'सोसायटी' के रूप में रजिस्टर होगा । इसका कार्य रचनात्मक तथा सहकारी भावना में लोक-प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन का विकास करना होगा । प्रस्तावित संस्था के नियम तैयार हो चुके हैं तथा समस्त राज्य सरकारों, संसद्-सदस्यों, व्यक्तिगत अधिकारियों, ग़ैर-अधिकारियों तथा रुचि रखने वाले संगठनों में वितरित कर दिये गये हैं । सदस्य बनाये जा रहे हैं । तथा शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली एक बैठक में इस संस्था का औपचारिक उद्घाटन होगा ।

(घ) जिन मुख्य बातों पर विचार किया जा रहा है वे एपिलबी रिपोर्ट के भाग १ (पृष्ठ १३–१४) में दी हुई सिफ़ारिशों की सूचि में संक्षेप में दी हुई हैं । उक्त प्रति-वेदन की एक प्रति वित्त मंत्री द्वारा सदन पटल पर रक्खी जा चुकी है ।

श्री रघुवीर सहाय: क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान लोक-शासन पर दिये गये एपिलबी प्रतिवेदन में निहित इस वाक्य का ओर आकर्षित हुआ है जो कि उस एपिलबी के सम्मुख एक योग्य तथा ख्यातिप्राप्त पदाधिकारी ने व्यक्त किया था : "जिस सीमा तक भ्रष्टाचार है वह पूर्णतया मंत्रियों का उत्तरदायित्व है" ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस दृष्टिकोण से माननीय मंत्री कहां तक सहमत हैं और वह कौन पदाधिकारी हैं जिसने कि यह दृष्टि-कोण व्यक्त किया था ?

श्री दातार: सरकार इस व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से अवगत है ।

श्री रघुवीर सहाय: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन सामूहिक परियोजना डायरेक्टरों के दृष्टिकोण पर विचार किया है जिन्होंने कि डीन एपिलबी से यह कहा था कि वहां कर्मचारियों को इस प्रकार रक्खा गया है कि बेकार हैं तथा गांव वालों में एक अस्पष्टता सी फैली हुई है क्योंकि इतने अधिक कर्मचारी हैं, प्रत्येक केवल अपने ही विभाग के बारे में जानता है और कुछ नहीं जानता, जब कि वे ऐसे व्यक्तियों को चाहते थे जिन्हें सब बातों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो ? यदि हां, तो सरकार किस निदान पर पहुंची है ?

श्री दातार: सरकार इसकी जांच कर रही है ।

श्री रघुवीर सहाय: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत कलक्टर के कर्तव्य पर डीन एपिलबी के मत पर विचार किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि "वह सब के प्रति उत्तरदायी है और किसी के भी प्रति विशिष्टतः उत्तर-दायी नहीं है" ? यदि हां, तो आजकल के कलक्टर की इस विरोधाभासमय स्थिति को हटाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरा निवेदन है कि मूल प्रश्न एक विशिष्ट संगठन से सम्बन्धित था और अब माननीय सदस्य अन्य बातों के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं । यदि वह इस प्रश्न की पृथक् सूचना दें तो कहीं अच्छा होगा ।

श्री बंसल: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार एक प्रशासनात्मक कर्मचारी कालिज की स्थापना पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो इन दोनों निकायों के कार्यों में क्या अन्तर होगा ?

डा० काटजू: इस प्रश्न की भी मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

विदेशी धर्म प्रचारक

*१०४. **श्री राधा रमण** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में रहने वाले विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या ;

(ख) उनकी राज्यवार संख्या ;

(ग) सन् १९५१ और १९५२ में यह संख्या कितनी थी ;

(घ) वे किस प्रकार का कार्य करते हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेने की शिकायत प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रक्खी जायगी ।

(घ) शिक्षा-सम्बन्धी, चिकित्सा-संबंधी, इंजील प्रचार सम्बन्धी, परमार्थी तथा ग्राम्य एवम् सामाजिक सुधार कार्य ।

(ङ) जी हां, भारत के कुछ भागों में कार्य करने वाले कुछ वैयक्तिक धर्म-प्रचारक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि ये धर्म-प्रचारक सीमान्त क्षेत्रों में केन्द्रित हैं ?

श्री दातार : शिकायतों की दृष्टि में हम इस प्रकार विचार कर रहे हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं विदेशी प्रचारकों को भारत में अपनी धर्म-प्रचारक संस्थाओं में आने तथा काम करने की अनुमति अस्वीकृत कर दी गई थी ?

श्री दातार : इस समय मुझे ऐसी किसी अस्वीकृति के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है, किन्तु आने से पूर्व उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है :

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार की दृष्टि में यह बात आई है कि कोई धर्म-प्रचारक जासूसी का कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : हमें ऐसे कोई समाचार नहीं प्राप्त हुए हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि निकोबार द्वीप में जो मिशनरी हैं वे धर्म-परिवर्तन के अलावा क्या भारत विरोधी कार्यवाही में भी लगे हुए हैं और क्या इस कार्यवाही में उनको आई० ए० एफ० के उन अधिकारियों से सहायता मिलती है जो वहां समय-समय पर पैट्रोल भरने के लिए आते हैं ?

डा० काटजू : मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम ।

श्री सैय्यद अहमद : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि काश्मीर के कुछ लोगों की ओर से, गत आन्दोलन के समय, एक पुस्तिका जारी की गयी है कि कुछ विदेशी धर्म-प्रचारक एक विदेशी राज्य के जासूसों के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रकार का कोई अधिकृत समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने पहले जो प्रश्न पूछा था उसके सम्बन्ध में एक बात ठीक करना चाहता हूं । मेरा मतलब आई० ए० एफ० से नहीं था, आर० ए० एफ० से था ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): यदि आपकी आज्ञा हो, तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक शब्द कहना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य ने नीकोबार द्वीप के बारे में जो कहा तो अव्वल तो निकोबार द्वीप के बारे में हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। दूसरे यह कि वहां बहुत ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि वहां बहुत थोड़े से लोग रहते हैं। लेकिन अगर आनरेबिल मेम्बर के पास कोई जाबते की इत्तला हो तो वह बताएं। इस तरह से हवा में बात कह देने से कोई पकड़ नहीं होती है।

स्त्रियों की छोटी बचत की योजना

*१०६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) स्त्रियों की छोटी बचत की योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य ;

(ख) तीन मदों के अंतर्गत अब तक एकत्रित हुई राशियां ;

(ग) क्या ब्याज कम करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) ८ करोड़ रुपए प्रति वर्ष।

(ख) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक, नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स तथा ट्रेजरी डिपोजिट सर्टीफिकेट्स में, इन विनियोजनों के प्रारम्भ से जनवरी, १९५४ के अंत तक क्रमश : २२५ करोड़ रुपए, १८४ करोड़ रुपए और ३९ करोड़ रुपए थे। इनमें से चालू वर्ष में जमा राशियां क्रमश: ७·७५ करोड़ रुपए, १६·१६ करोड़ रुपए और ५·६० करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सेविंग्स स्टाम्पस् के अंतर्गत छोटे विनियोजकों द्वारा कितनी राशि जमा की गयी ?

श्री ए० सी० गुहा : इस प्रकार के पृथक अभिलेख नहीं रक्खे जाते हैं। इस सूचना को संकलित करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना को गांवों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : हम ग्रामीय बचत की भी एक योजना प्रारम्भ कर चुके हैं। बंगाल में यह कार्य कर रही है तथा मध्य प्रदेश में शीघ्र आरंभ हो जायगी, अन्य राज्यों में भी यह शीघ्र ही लागू की जाएगी।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि स्त्रियों की छोटी बचत योजना के सिलसिले में वेतनों, भत्तों तथा विज्ञापनों के रूप में कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ?

श्री ए० सी० गुहा : हमें आशा है कि इस वर्ष में यह संगठन पूरे भारत में कुल मिलाकर ५०,००० रुपए से अधिक की राशि व्यय नहीं करेगा।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई कमीशन दिया जा रहा है, और यदि हां, तो किस दर पर ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकृत एजेंटों को सामान्यत: जो कमीशन दिया जाता है वही उन्हें भी दिया जाएगा।

लोक नृत्य उत्सव

*१०७. **श्री संगण्णा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) २६ जनवरी १९५४ को हुए गण राज्य दिवस समारोह के अवसर पर लोक नृत्य कला तथा गान प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों से आमंत्रित विभिन्न आदिमजातियों के क्या नाम ; और

(ख) देश में विभिन्न आदिमजातियों के दलों में से सब से अच्छा चुनने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) उन आदिम जातियों और दलों के नाम जिन्होंने समारोह के अवसर पर लोक नृत्यों और झांकियों में भाग लिया सदन पटल पर रखे विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २३**].

(ख) सब राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि वे समारोह में प्रस्तुत करने के लिए झांकियों और लोक नृत्यों की मदों के सम्बंध में सुझाव दें। उन से प्राप्त हुए सुझावों पर केन्द्र की उप-समिति ने विचार किया था। केन्द्र की समन्वय समिति की बैठक में, जिस में सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, अन्तिम चुनाव किया गया था। मुझे यह भी कहना चाहिये कि समन्वय समिति के सदस्य अपने मूल्यवान सुझावों के लिए हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली में उन पर हुए व्यय का भार राज्य सरकारों ने अपने ऊपर लिया अथवा केन्द्रीय सरकार ने ?

श्री सतीश चन्द्र : दिल्ली में उन के व्यय का भार केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर लिया परन्तु उन की यात्रा का व्यय सम्बंधित राज्य सरकारों ने किया ?

श्री संगण्णा : देश के विभिन्न आदिम-जाति क्षेत्रों में लोक नृत्य के वैज्ञानिक अध्ययन और विकास के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : एक संगीत नाटक अकादमी है और देश में अन्य कई संस्थाएं सांस्कृतिक कार्य कर रही हैं। सरकार की अपनी कोई संस्था नहीं, परन्तु निश्चय ही लोक नृत्य को लोक प्रिय बनाने में अभिरुचि रखती है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। मैं अपने नवयुवक सहकारी की बात का संशोधन करना चाहता हूं, सरकार की इस में बहुत अभिरुचि है और वह सर्वथा, पूर्णतया प्रत्यक्ष रूप से न सही परन्तु फिर भी बहुत दिलचस्पी से इसमें भाग ले रही है। सरकार एक छोटा नृत्य शिक्षणालय इम्फाल, मनीपुर राज्य, में खोल रही है और इस प्रयोजन के लिए एक और शिक्षणालय शिलांग में खोलने का विचार रखती है। सरकार लोक नृत्य प्रदर्शनों में टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन को लोक नृत्य के प्रोत्साहन के लिये रक्षित रख रही है।

भारतीय नाविक शिशिक्षु

*१०८. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय नाविक शिशिक्षुओं को, जो स्काटलैंड के पास नेवल फ्लीट एयर आर्म बेस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, वापस भारत बुला लिया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा हुआ है तो इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्टें आई थीं।

श्री गिडवानी : ये रिपोर्टें किस प्रकार की थीं।

श्री त्यागी : जब कि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उन के विरुद्ध यह अभिकथन था कि वे राजनैतिक गुट बना रहे हैं और गुप्त तथा विध्वंसकारी कार्यों में लगे हुए

हैं, परन्तु ये केवल अभिकथन हैं। इस लिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वे इन अभिकथनों को अभी सत्य न समझें क्योंकि अभी उन की जांच हो रही है ?

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री के कथन के दृष्टिगोचर, क्या उन्हें वापस बुलाना और उनकी वापसी पर इतना धन नष्ट करना उचित था ?

श्री त्यागी : उन्हें केवल इस कारण वापस नहीं बुलाया गया कि उनके विरुद्ध गम्भीर अभिकथन थे, परन्तु इसलिये कि सरकार को विश्वास था कि इन अभिकथनों में कुछ सार है परन्तु जब तक विषय की पूरी जांच न हो जाय कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री एन० आर० कृष्ण : मैं जान सकता हूं कि क्या यह पहला दल है जिसे वहां प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था ?

श्री त्यागी : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये । परन्तु मेरा विचार है कि हमने कुछ और दल भी भेजे होंगे ।

श्री जोकीम आलवा : इन घटनाओं में कितने शिशिक्षु, अथवा उमीदवार ग्रस्त थे ? क्या सरकार ने भेजने से पूर्व इन शिशिक्षुओं के सामर्थ्य, आचार और देश भक्ति के सम्बन्ध में जांच नहीं की थी और क्या उन्हें भेजने के पश्चात् ही सरकार को उन के सामर्थ्य में फेर बदल का पता लगा ?

श्री त्यागी : जिस समय उम्मीदवारों को भेजा गया उन में ऐसी प्रवृत्तियां मालूम नहीं पड़ीं । जब कभी रक्षा सेवाओं में नियुक्त किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि वह विभिन्न राजनैतिक अथवा गुप्त या विध्वंसकारी चेष्टाओं में लगा हुआ है, तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है । इसलिए ज्यों ही मंत्रालय को जानकारी प्राप्त हुई उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

मिदनापुर बैंक लि टेड

*१०९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत दिसम्बर में रक्षित बैंक ने मिदनापुर बैंक लिमिटिड को अनुज्ञप्ति देने से इनकार किया था ; और

(ख) यदि ऐसा हुआ है तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ की धारा २२ के अधीन अनुज्ञप्ति देने अथवा न देने का अधिकार विधि द्वार रक्षित बैंक को दिया गया है और सरकार समझती है कि क्योंकि मिदनापुर बैंक लिमिटेड, बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ की धारा २२ (३) (क) तथा (ख) के अन्तर्गत रखी गई शर्तों को पूरा नहीं कर सका इस-लिये रक्षित बैंक ने ऐसी कार्यवाही की ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी मिली है कि जब इस बैंक को अनुज्ञप्ति नहीं दी गई तो उसका कारोबार बन्द होगया ?

श्री ए० सी० गुहा : स्वाभाविक ही है कि, जब अनुज्ञप्ति नहीं दी गई तो बैंक कार्य नहीं कर सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार को कोई जानकारी है कि उन्होंने कुछ कारोबार किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस विशेष सूचना के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये । यदि बैंक ने ऐसा कुछ किया है तो उसने विधि का उल्लंघन किया है और वह दण्डनीय है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या बैंक ने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३७ के अधीन न्यायालय को अपील की है कि उन्हें कारोबार चलाने दिया जाये ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । इस सम्बन्ध में मुझे इस समय कोई जानकारी नहीं।

विदेशी विशेषज्ञ

*११०. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी विशेषज्ञों की संख्या क्या है जो विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए १९५२-५३ में भारत आए ?

(ख) किन योजनाओं पर उनसे परामर्श लिया गया ?

(ग) वे किन किन देशों से आये ?

(घ) उन पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ) तक। जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि यह जानकारी कब तक उपलब्ध होने का अनुमान है ?

डा० एम० एम० दास : इस अवस्था में इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन है । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य कठिनाइयों को समझते होंगे क्योंकि इस प्रश्न के साथ केवल शिक्षा मंत्रालय का ही सम्बन्ध नहीं । स्वास्थ्य, खाद्य तथा कृषि, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालयों ने भी विदेशी विशेषज्ञ बुलाये हैं ।

श्री मती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी आयव्ययक चर्चा से पूर्व हमें यह जानकारी मिल सकेगी ?

डा० एम० एम० दास : इस अवस्था में यह जानकारी देना मेरे लिए संभव नहीं। मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

मालेरकोटला का भूतपूर्व नरेश

*१११. **डा० रामा राव** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संविलयन के पश्चात मलेरकोटला के भूतपूर्व नरेश ने सरकारी खजाने से कुछ राशि निकाली ;

(ख) यदि निकाली है तो कितनी राशि और किस किस तारीख को ; तथा

(ग) क्या यह उससे वसूल कर ली गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

		रुपये आ० पा०
(ख)	२३ अगस्त १९४८ को	१,११७ ८ ०
	३१ अगस्त १९४८ को	७,००० ० ०
	२९ सितम्बर १९४८ को	१९,४६१ ४ ३
	३० सितम्बर १९४८ को	६,५०४ ८ ६
	१५ फरवरी १९४९ को	१५,९२६ ५ ३

(ग) मलेरकोटला के महामान्य नवाब ने इन राशियों की देनगी की आज्ञा उस समय दी थी जब उन्हें ऐसे आदेश देने का अधिकार था। इस के अतिरिक्त, उनकी निजी सम्पत्तियों के निबटारे के समय प्रश्नाधीन राशियां भी लेखे में ले ली गईं और उन के साथ पूर्ण निबटारा किया गया ।

आय-कर जांच आयोग

*११२. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिसम्बर, १९५३ तक आय-कर जांच आयोग को कितने मामले सौंपे गये थे;

(ख) १९५३ में आयोग द्वारा कितने मामलों के बारे में जांच तथा निर्णय किया गया ; तथा

(ग) इस जांच के फलस्वरूप कितनी धनराशि वसूल हुई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) १६६८.

(ख) १६८.

(ग) जब से जांच आयोग ने जांच का कार्य आरम्भ किया तब से प्रतिवर्ष ८.८६ करोड़ रुपये का कर वसूल होता रहा है।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग के नियोजन से अब तक प्रति वर्ष औसतन कितने मामलों का निर्णय किया जा चुका है ?

श्री सी० डी० देशमुख : निर्णीत मामलों की कुल संख्या १,०३२ है। यह पांच वर्ष के आंकड़े हैं ; और ५ से भाग देने पर औसत संख्या मालूम हो सकती है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या न्यायनिर्णीत व्यक्तियों से उन्हीं किश्तों पर रुपया वसूल किया जाता है जो अधिक से अधिक सम्भव धनराशि वसूल करने की रीति के निमित्त निश्चित की गई थी, अथवा क्या इन किश्तों के विषय में भी कुछ बकाया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जो किश्तें ३१ दिसम्बर, १९५३ तक देय थीं, उनकी कुल राशि १८.०५ करोड़ थी और इस तारीख तक जो संकलन हुआ है उसकी कुल राशि ८.८६ करोड़ है।

श्री टी० एन० सिंह : उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने किश्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सामान्य कार्यवाही की जाती है। कभी कभी उन्हें कानूनी नोटिस आदि दिया जाता है और कभी कभी और किश्तें निश्चित की जाती हैं।

आयुध डिपो

*११३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सारे आयुध डिपों के स्टाक के पड़ताल का कार्य समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितना कार्य बाकी है ; तथा

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) स्टाक की पड़ताल एक वार्षिक कार्यवाही है। यदि माननीय सदस्य चालू वित्तीय वर्ष के बारे में पूछ रहे हैं तो उत्तर नकारात्मक है। परन्तु यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय कुछ समय पूर्व हाथ में ली गई विभिन्न आयुध डिपों सम्बन्धी विशेष पुनर्संगठन योजना से है तो यह योजना सी० ओ० डी० आगरा को छोड़, अन्य सारे डिपों में पूरी की गई है। आगरे के डिपो के सम्बन्ध में इस योजना का पूरा करना कुछ विशेष उपकरणों की प्राप्यता पर निर्भर है।

(ख) स्टाक की वार्षिक पड़ताल के बारे में लगभग ३८ प्रतिशत मदों की पड़ताल अभी बाकी है ?

(ग) स्टाक की वार्षिक पड़ताल ३१ मार्च, १९५४, तक पूरा होने की आशा है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या गत दो वर्ष में स्टाक में चोरी होने की कोई रिपोर्ट हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं बिना पूछताछ किये कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बीसों डिपों हैं।

अध्यक्ष महोदय: किसी विशेष डिपो के बारे में नहीं, सामान्यतः ?

श्री सतीश चन्द्र: मुझे चोरी होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या सरकार को मालूम है कि जबलपुर के डिपो में ऐसी एक घटना हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र: यदि माननीय सदस्य मुझे यह सूचना दें, तो मैं उसकी पड़ताल कर सकता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न आयुध डिपों में स्टाक की प्रत्येक मद के बारे में लेखा पुस्तकों तथा वस्तुओं की पड़ताल होती है अथवा केवल कुछ प्रतिशत पड़ताल होती है ?

श्री सतीश चन्द्र: लेख, पत्रों में दर्ज की गई मदों के बारे में वास्तविक स्टाक की पड़ताल की जाती है । स्टाक की सारी वस्तुओं की गणना की जाती है और फिर लेजरों तथा लेख. कार्डों की पड़ताल की जाती है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि मुरादनगर डिपो में कई चोरी के मामले प्राधिकारियों के ध्यान में लाये गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री सतीश चन्द्र: मुरादनगर में कोई डिपो नहीं है ।

घड़ियों का आयात

*११४. **श्री धूसिया**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में घड़ियों के अवैध आयात के पकड़े गये मामलों की संख्या ; तथा

(ख) इन मामलों में कितने भारतीय तथा विदेशी लिप्त थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि गतवर्ष ४ दिसम्बर को हम ने घड़ियों के अवैध तस्कर व्यापार सम्बन्धी ६ महीने के कुछ आंकड़े दिये थे । समस्त वर्ष के आंकड़े हम एकत्रित नहीं कर सके हैं ।

श्री धूसिया: इस समय तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन के आधार पर मैं जान सकता हूं कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी अथवा विधान मंडल के सदस्य इन मामलों में लिप्त थे ?

श्री ए० सी० गुहा यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो मैं उन से उस सूचना को सरकार को देने का निवेदन करूंगा, और तब सरकार निश्चय ही उसकी जांच करेगी । परन्तु, जहां तक मुझे ज्ञात है, हमें अभी तक कोई निश्चित सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हिन्दी स्कूल मनीपुर

*११५. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या शिक्षा मंत्री १४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निदश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के हिन्दी स्कूल की स्थापना के लिए दी गई भूमि का क्षेत्रफल ;

(ख) क्या उक्त भूमि उक्त संस्था के नाम से दी गई है अथवा श्री अधिकारी के नाम से जो उक्त विद्यालय के अध्यक्ष हैं ;

(ग) क्या उक्त स्कूल की कोई शासिका सभा अथवा पर्षद् है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो वह कब नियुक्त की गई थी ; तथा

(ङ) पर्षद् के सदस्यों के नाम ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एस० दास) : (क) से (ङ) तक यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उत्तर यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

पैप्सू में राज्य बन्दी

***११६. श्री गोपाल राव** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पैप्सू में राज्य बन्दियों की संख्या ; तथा

(ख) क्या उन में से कोई धारा सभा के होने वाले सामान्य चुनावों में उम्मेदवारों की भांति खड़े हो रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) चार ।

(ख) तीन ।

श्री गोपाल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में अपनाया गया व्यवहार सरकार की घोषित नीति के समनुरुप है कि चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे ?

डा० काटजू : यह राज्य बन्दी इसलिये निरुद्ध किये गये थे क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक शान्ति को भंग करने के लिये विध्वंसकारी हलचलें करने का निश्चय किया था । निरोध के आधारों से उन को सूचित किया गया था और उन के निरोध आदेश का मंत्रणा पर्षद् द्वारा अनुमोदन किया गया था । उन में से दो के सम्बन्ध में यह कार्यवाही अगस्त, १९५३ में की गई थी । तीसरे के सम्बन्ध में, आदेश का अनुमोदन बाद को किया गया । यह उचित नहीं समझा गया कि केवल इसी कारण ही कि कोई राज्य बन्दी चुनाव लड़ रहा था उसे निरोध आदेश की लपेट से बचने का अधिकारी समझा जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि केवल यही राज्यबन्दी ऐसे हैं जो चुनाव म खड़े हुए हैं और चुनाव के समय तक भी छोड़े नहीं गये हैं ?

डा० काटजू : मुझे वास्तव में ज्ञात नहीं है क्योंकि शायद यही वह राज्यबन्दी थे—मेरे इस कथन को ठीक किया जा सकता है—जो इसलिये निरुद्ध किये गये थे क्योंकि वह विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लेने के दोषी थे अथवा जिन पर भाग लेने का सन्देह था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो फिर निवारक निरोध अधिनियम किस लिये है ? मेरे विचार से उसे विध्वंसकारी कार्यवाहियों के लिये ही रखा गया था । यही तो सरकार ने कहा था ।

डा० काटजू : यह तो आपका दोषारोपण है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अध्यक्ष को सम्बोधित कर सकते हैं ।

डा० काटजू : मैं क्षमा चाहता हूं, श्रीमान् ।

रक्षा मनोवैज्ञानिक यूनिट

***११७. श्री एम० एस० गुरुपदास्वामी** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सैनिक सेवा की तीनों शाखाओं के कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करने के लिये रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में एक मनोवैज्ञानिक यूनिट स्थापित किया गया है ?

(ख) उसको स्थापित करने में कितना समय लगा था ?

(ग) अब तक इस यूनिट पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(घ) उसके कार्य का क्षेत्र क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक यूनिट स्थापित नहीं किया गया है । उस प्रयोगशाला में दिसम्बर १९५१ से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक (व्यावहारिक मनोविज्ञान) काम कर रहा है । उसकी

सहायता के लिये नवम्बर १९५३ से एक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक नियुक्त किया गया है ।

(ग) लगभग २५,००० रुपये ।

(घ) मानवीय प्रयत्न में समग्र रूप से बचत के द्वारा अधिक संचालन दक्षता प्राप्त करने के लिये काम की दशाओं और सामग्री के रूपांकन में सुधारों के सुझाव देने की दृष्टि से, आजकल वातावरण संबंधी भार की नाप और सेना, नौसेना एवं विमान बल के कर्मचारियों की दक्षता पर उसके प्रभाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह और बता दूं कि रक्षा विज्ञान संगठन में एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान शाखा भी है, परन्तु यह प्रयोगशाला से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपदास्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विभाग विशेष में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, अभी ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है, परन्तु जैसे और जब आवश्यकता उत्पन्न होगी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस शाखा से पूरा लाभ उठाने के लिये बहुत उत्सुक है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या इन दोनों वैज्ञानिकों ने, जो कि इस प्रयोजन के लिये कार्य नियोजित किये जा चुके हैं, सरकार को कोई योजना या सुझाव दिया है ?

श्री त्यागी : उन वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग के बाद कई एक व्यावहारिक सुझाव हमारे पास आये हैं और उन में से अधिकांश लाभ सहित अपनाये जा चुके हैं। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आजकल की अपेक्षाओं के उपयुक्त संचालन संबंधी सामग्री आदि के रूप भेद से संबंधित हैं और अन्य बहुत से सुझाव विचाराधीन हैं।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मानवीय कार्यों में समग्र रूप से बचत का यह विशिष्ट कार्य अन्य मंत्रालयों को भी स्थानांतरित कर दिया जायेगा, अर्थात् क्या इन दो पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान के ज्ञान का लाभ अन्य मंत्रालयों को भी उन के लाभ के लिये दिया जायेगा ?

श्री त्यागी : उनके द्वारा की गई वास्तविक सिफारिशों के विषय में मैं निश्चित रूप से नहीं जानता हूं। कदाचित वे केवल सशस्त्र सेना और उसके कार्य के सम्बन्ध में होंगी। यदि उन्होंने सचिवालय के कार्य और वहां पर किसी मितव्ययता के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं, तो निश्चय ही उन सिफारिशों को उनके पास भेजने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मुझे मेरे प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर दिया जायेगा ? माननीय मंत्री ने यह बताने की कृपा की है कि उसका संबंध मानवीय कार्यों में समग्र रूप से बचत करने के प्रश्न से है । मानवीय कार्यों का सम्बन्ध केवल रक्षा सेवाओं से ही नहीं होता है । मैं यह जानना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय के कार्यों के अतिरिक्त अन्य मानवीय कार्यों को उससे किस प्रकार लाभ पहुंचने जा रहा है ।

श्री त्यागी : मुझे कहना पड़ता है कि मैंने मानवीय प्रयत्न कहा था ।

नागा राष्ट्रीय परिषद

*११९. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि नागा राष्ट्रीय परिषद् ने नागा पहाड़ियों के निकट भारत-

बर्मा सीमा पर एक विध्वंसकारी आन्दोलन आरम्भ किया है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार द्वारा संप्रेषित पुलिस बल ने आदिम जाति के व्यक्तियों के कब्जे से कई बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त सेना की राइफिलें और बहुत सी बिना इस्तेमाल किये हुए कारतूस बरामद किये हैं ;

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या वे आदिमजाति व्यक्ति मनीपुर राज्य के हैं ;

(घ) उनको ये राइफिलें और कारतूस कहां से प्राप्त होते हैं ;

(ङ) क्या नागा राष्ट्रीय परिषद के इस विध्वंसकारी आन्दोलन को मनीपुर के आदिमजाति व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त हुआ हैं ; तथा

(च) क्या मनीपुर आदिम जाति व्यक्तियों में से अभी तक कोई गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). जी हां, ११० हथियार और ४३१ राउंड गोला बारूद दिसम्बर १९५३ में उखरल तहसील की नागा पहाड़ियों की सीमा के निकट मनीपुर राज्य के गांवों से बरामद किया गया था ।

(घ) आदिमजाति व्यक्तियों द्वारा ये हथियार और गोला बारूद गतयुद्ध के बाद मित्रराष्ट्रों की सेना द्वारा छोड़े गये ढेरों में से इकट्ठा किया गया था ।

(ङ) मनीपुर राज्य के ऐसे आदिमजाति व्यक्तियों की, जिनकी नागा राष्ट्रीय परिषद के साथ सहानुभूति है, संख्या नगण्य है ।

(च) जी नहीं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या किसी कारण से सरकार यह समझती है कि इस नागा राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे किसी विदेशी अभिकरण का हाथ है ?

श्री दातार : इस मामले के सभी पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है इस अवस्था पर मैं अभी इतना ही प्रकट कर सकता हूं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि उखरल क्षेत्र के मनीपुर के एक आदिमजाति व्यक्ति को हाल ही में नागा पहाड़ियों से निर्वासित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और उस व्यक्ति के राजनैतिक रूझान क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्ति नागा पहाड़ियों से निर्वासित किया गया था । इसकी राजनीतिक उपलक्षणायें क्या हैं और उसके विचार क्या थे ? प्रतीत होता है कि यही उनका प्रश्न है ।

श्री दातार : इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : नागाओं के साथ सद्भाव और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिये अभी तक हमारी सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० काटजू : नागा पहाड़ियों का अधीक्षक प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहा है और हम उन नागाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके साथ उस आधार पर व्यवहार किया जा सकता है ।

आसाम का तेल सर्वेक्षण

***१२०. श्री अमजद अली** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा

मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३९ के भाग (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि गत दो मास में आसाम में ऐसे नये क्षेत्रों की खोज में, जहां तेल मिलने की संभावना है, सर्वेक्षण के तीन तरीके--वायुचुम्बकीय (एइरोमैग-नेटिक), भूकम्पीय (सीसमिक) तथा भारमितीय (ग्रेवीमीट्रिक)--एक साथ काम में लाये गये थे ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां सर्वेक्षण के ये तीनों तरीके एक साथ काम में लाये गये थे और उसके क्या परिणाम हुए ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री क्रे० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् । सर्वेक्षण के तीन तरीके—वायुचुम्बकीय (एइरोमैगनेटिक), भूकम्पीय (सीसमिक) और भारतीय (ग्रेवीमिमीट्रिक) --२६ जनवरी, १९५४ तक एक साथ चालू थे ।

(ख) वायुचुम्बकीय (एइरोमैगने-टिक) सर्वेक्षण, जो कि १० दिसम्बर, १९५३ को आरम्भ हुआ था और २६ जनवरी, १९५४ को समाप्त हो गया, आसाम के लखीमपुर, सिबसागर, नौगांव तथा दारंग जिलों और उत्तर पूर्व सीमान्त प्रदेशों के कुछ भाग में किया गया था ।

भूकम्पीय (सीसमिक) सर्वेक्षण, जो कि नवम्बर १९५३ में आरम्भ हुआ था और अभी तक चालू है, नहरकटिया क्षेत्र में हुआ है ।

भारमितीय (ग्रेवीमीट्रिक) सर्वेक्षण, जो कि लगभग सितम्बर, १९५३ में आरम्भ हुआ था और अभी तक चालू है, लखीमपुर सिबसागर और सदिया के सीमान्त प्रदेशीय जिलों में हुआ है ।

सर्वेक्षणों से प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री अमजद अली : गत दो मास की खोज के आधार पर, क्या सरकार उस क्षेत्र की तेलधारी चाट्टानों की भौतिक सीमाओं का कोई काम चलाऊ अनुमान दे सकती है ।

श्री के० डी० मालवीय : सूचना, जो कि अधिकतर आसाम तेल समवाय को उप-लब्ध होती है, उसके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में अंशतः प्रकाशित की गई है ।

श्री अमजद अली : क्या इस बात की संभावना है कि आसाम तेल समवाय खोदने के कार्यों को और आगे जारी रखेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : विस्तृत खोज के लिये, समवायों के साथ बात चीत की जायगी ।

सेना निवृत्ति-वेतन

***१२१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेना की निम्नलिखित शाखाओं में की गई सेवा को, स्थायी सेना के कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति पर, निवृत्ति वेतन के हेतु जोड़ने की अनुमति दी जाती है:

(१) रक्षित सेवा,

(२) सेना के पदाधिकारियों के रक्षित बल में सेवा तथा

(३) भूतपूर्व भारतीय प्रादेशिक सेना की सेवा ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि सेना की उन शाखाओं में वृद्धावस्था के लिये क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारतीय सेना के पदाधिकारियों के रक्षित बल की ऐसी सेवा जिसके लिये उन्हें बुलाया गया हो और भूतपूर्व भारतीय प्रादेशिक सेना की सम्मिलित सेवा की, ऐसे मामलों में जहां पर इसके बाद बिना किसी क्रम भंग के स्थायी कमीशन सेवा हुई हो, निवृत्ति वेतन अथवा उपदान के लिये गणना की जाती है, बशर्ते कि यदि उसके संबन्ध में कोई उपदान प्राप्त हो चुका हो तो उसे वापस करना होता है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में फिर से सेना में बुलाये गये रक्षित बल के सदस्यों को अपनी नौकरी के समाप्त होने पर निवृत्ति वेतन अथवा उपदान के लिये अपनी रक्षित सेवा के आधे भाग को जोड़ने की अनुमति दी गई है।

(ख) रक्षित सेवा किसी व्यक्ति के साधारण असैनिक व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, परन्तु साधारणतः उसके साथ वार्षिक अथवा द्विवार्षिक प्रशिक्षण और किसी आपात में सक्रिय सेवा के लिये बुलाये जाने का दायित्व जुड़ा होता है। रक्षित बल के सदस्यों की सम्मिलित सेवा या तो उपदान अर्जक होती है अथवा अंतिम रूप से नौकरी के समाप्त होने पर निवृत्ति वेतन या उपदान के लिये संविहित सीमा तक जोड़ी जाती है। ऐसे सिपाही जो कुछ काल के लिये सक्रिय सेवा में और बाद में रक्षित सेवा में रखे जाते हैं, उन्हें संयुक्त सेवा के समाप्त होने पर निवृत्ति वेतन (या उसके स्थान पर उपदान) दिया जाता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक खड़े हुये--

श्री त्यागी : श्रीमान्, समय समाप्त हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पूछा जा सकता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या सरकार को मालूम है कि इन श्रेणियों के बहुत से सेना अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी ऐसे हैं जिन्हें गत छै वर्षों में सेवामुक्त कर दिया गया है और जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उनको पुनर्वासित करने का कोई तरीका सोच रही है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, खेद है कि मैं इस प्रश्न का उद्देश्य नहीं समझ सका हूं, परन्तु यदि कोई ऐसे मामले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं और जिन्हें कोई निवृत्ति वेतन या निवृत्त सम्बन्धी लाभ प्राप्त होने चाहियें तो मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य उन व्यक्तियों को ढूंढ कर मेरे पास अपने प्रार्थना पत्र भेजने के लिये कहेंगे, और मैं उन पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक वित्त निगम

*९८. **श्री भागवत झा आजाद** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार इस विभाग के लिये एक सर्व-कालीन अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कब सरकार औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम का संशोधन करना चाहती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जैसे कि इस मंत्रालय के इस विषय सम्बन्धी संकल्प में बताया गया है सरकार ने इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है।

उक्त संकल्प पहले ही सदन पटल पर रखा जा चुका है ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

भारतीय सिक्युरिटियों का आयात

*१०५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ तथा १०२८ के उत्तरों की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने २७ फरवरी, १९५१ से भारतीय सिक्युरिटियों के पाकिस्तान से भारत में आयात के सम्बन्ध में जो जांच कराई थी, उसका परिणाम क्या निकला है तथा इन सिक्युरिटियों के बदले में पाकिस्तानी प्रजाजनों को किस रूप में कितनी अदायगी की गई; और

(ख) क्या सरकार का उन भारतीय सिक्युरिटियों के सम्बन्ध में एक मासिक विवरण सदन-पटल पर रखने का विचार है जो कि २७ फरवरी १९५१ से ३१ दिसम्बर १९५३ तक पाकिस्तान से आयात की गई हैं तथा जिनका नाम बदल दिया गया है ?

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जो जांच की गई है उस से इस बात का पता चलता है कि आयात की गई सिक्युरिटियों का निम्न लिखित शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जा सकता है :—

(१) भारतीय प्रजाजनों की तरल परिसम्पत्त के स्थानान्तरण के लिए सिक्युरिटियों का आयात ;

(२) पाकिस्तानी प्रजाजनों द्वारा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजे गये निम्न-मूल्य के उपहार;

(३) पाकिस्तानी प्रजाजनों द्वारा स्थानान्तरित की गई ऐसी सिक्युरिटियां जो कि उन्हें भारत में अपने बैंकरों के पास रखनी हैं अथवा जिनका मूल्य वह भारत के बैंकों में अपने खातों में डालना चाहते हैं;

(४) भारतीय प्रजाजनों की सिक्युरिटियां, जिनका नाम पाकिस्तान में अदायगी प्राप्त करने के लिये बदल दिया गया ;

(५) दलालों द्वारा लाई गई सिक्युरिटियां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]** । २७ फरवरी १९५१ से ले कर १० जनवरी १९५२ तक की कालावधि के मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस तरह के तथ्य तथा आंकड़े रखने के अनुदेश लोक-ऋण कार्यालयों आदि को केवल जनवरी, १९५२ में ही दिये गये ।

काश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पूलिस

*११८. **डा० सत्यवादी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कोई दल मौजूद है; तथा

(ख) यह दल वहां कब से है, और इस पर प्रतिवर्ष केन्द्र का कितना व्यय हो रहा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की चार कम्पनियां इस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य में मौजूद हैं । इन में से दो कम्पनियां जनवरी १९५३ से वहां हैं तथा दो अन्य कम्पनियां मई, १९५३ से हैं । पुलिस की यह टुकड़ियां जम्मू तथा काश्मीर राज्य की प्रार्थना पर वहां भेजी गई हैं तथा इन पर जो व्यय होता है वह राज्य सरकार पूरा करती है ।

राष्ट्रीय अजायबघर, दिल्ली

*१२२. **श्री बहादुर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री ४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय अजायबघर का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की आशा है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): इस अजायबघर की क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिये तथा इमारत का प्लान तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुये सरकार इस मामले के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करेगी।

संरक्षक विभाग

*१२३. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची १ की मद ३४ के अन्तर्गत कोई विधान पारित करना चाहती है ;

(ख) यदि चाहती है, तो कब; तथा

(ग) इस समय भूतपूर्व देसी रियासतों के शासकों की कौन कौन सी जागीरें संरक्षक विभाग के अधीन हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

(ख) ज्योंही अन्तर्ग्रस्त विषयों की जांच पूरी होगी।

(ग) (१) औंध,

(२) धरोच,

(३) बस्तर, तथा

(४) राजनंदगांव।

698 P.S.D.

भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता

*१२४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता ने कोई गणना-मशीन बनाई है ; और

(ख) यदि बनाई है तो यह कितनी गिनती तक के आंकड़ों का समीकरण करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) (क) हां, श्रीमान्। भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता ने रेखाओं में समीकरण तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए एक "अनेलाग मशीन" बनाई है।

(ख) यह मशीन तीन दशमलव अंकों तक सही तौर पर समीकरण कर सकती है।

आगरे में प्राचीन स्मारक

*१२५. **श्री बी० सी० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक भवनों तथा स्मारकों की देखभाल आदि के लिये कितने कर्मचारी सेवायुक्त किये गये हैं तथा उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : दस स्थायी कर्मचारी तथा ८७ अस्थायी कर्मचारी।

सेवा की शर्तें संक्षिप्त रूप से उस विवरण में दी गई हैं जो कि सदन पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]

सौराष्ट्र में चूने का पत्थर

*१२६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** क्या प्राकृतिक संसाधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमेंट बनाने

के उपयुक्त चूने के पत्थर की खानें सौराष्ट्र में पाई गई हैं; और

(ख) लगभग कितनी मात्रा पाई गई है तथा यदि इस को उचित रूप से निकाला जाये तो इस से कितना सीमेंट बन सकेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग छः करोड़ चालीस लाख टन । अनुमान लगाया जाता है कि यह मात्रा १०,००० टन दैनिक उत्पादन के हिसाब से २० वर्ष से भी अधिक समय के लिये सीमेंट बनाने के लिये प्रर्याप्त होगी।

मनीपुर में वेतन-स्तर

***१२७. श्री रिशांग किशिंग** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि आसाम के वेतनस्तर १ अप्रैल, १९५० से भूतलक्षी प्रभाव से मनीपुर में लागू किये गये हैं ;

(ख) यदि किये गये हैं तो नये वेतन स्तरों से कितने अध्यापकों को लाभ पहुंचा है ; तथा कितने अध्यापकों को लाभ नहीं पहुंचा है

(ग) उन्हें नये वेतन स्तर का फायदा न देने के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं ;

(घ) एतत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जाने के समय अनिर्णीत मामलों का कब अन्तिम फैसला किया जायगा; तथा

(ङ) नये वेतनस्तरों को लागू करने के परिणामस्वरूप क्या सरकार का अध्यापकों के नये दल को भर्ती करने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ङ) तक । राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सूचना यथासमय सदन पटल पर रखी जायगी।

'सोदेपुर गिलास वर्क्स लिमिटेड'

***१२८. श्री गिडवानी** : क्या वित्त मंत्री २७ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार 'सोदेपुर गिलास वर्कस, लिमिटेड' जिसे कि औद्योगिक वित्त निगम ने ४०,००० रुपये का ऋण दिया है, के मामले के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंची है ; और

(ख) यदि पहुंची है, तो यह निश्चय क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) । औद्योगिक वित्त निगम ने 'सोदेपुर गिलास वर्क्स लिमिटेड' को कुल ५० लाख रुपये के ऋण दिये हैं । यह ऋण औद्योगिक वित्त निगम ने दिये हैं तथा सरकार को पता चला है कि औद्योगिक वित्त निगम इस मामले के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन

***१२९. श्री राधा रमण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ के दौरान में भारत से रुपया पैसा, सोना चांदी तथा आभूषण बाहर ले जाने के कुल कितने ऐसे मामले हुये हैं जिनके सम्बन्ध में सीमा-शुल्क के नियमों का उल्लंघन किया गया है ; और

(ख) जुर्माने आदि के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) वर्ष १९५३-५४ के पहले छै महीनों में इस प्रकार के १७०२ मामलों का पता चला था ।

(ख) संगत सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जाएगी।

सानुज्ञ (सदन प्राप्त) चिकित्सा अधिकारी

***१३०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बहुत से सनद-प्राप्त (सानुज्ञ) चिकित्सा अधिकारियों को जिन्हें कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ के खंड २ (१) के अन्तर्गत निश्चित की गई अर्हतायें प्राप्त नहीं थीं, उनको निम्नतम निवृत्ति-वेतन प्राप्त होने पर, नौकरी से निकाल दिया गया है ?

(ख) १९५३ में कितने ऐसे अधिकारी निकाले गये हैं ?

(ग) प्रत्येक अधिकारी को किस हिसाब से निवृत्ति वेतन दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ४१ ।

(ग) उन व्यक्तियों को जिन्हें १९५३ में निकाला गया १६० रुपये प्रति मास दिया जाता है ; इस से अधिक (लम्बी सेवा के कारण) उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें इससे पहले निकाला गया ।

मनीपुर में प्रशासन सुधार

***१३१. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या राज्य मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को मनीपुर पहाड़ियों के प्रशासन सुधार के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे:

(क) इस दिशा में मनीपुर के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अभी तक कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) क्या योजना के ब्योरे पर निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग) तक । प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

उड़ीसा उपनिर्वाचन

***१३२. श्री बी० सी० दास :** क्या विधि मंत्री दिनांक ९ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९० के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बरहामपुर के बहुसदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कतिपय आंध्र नामों के छूट जाने के आरोप की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी?

विधि तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]

राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय (बालिका विभाग)

११. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय छात्र सैनिक (बालिका विभाग) में अभी तक नाम लिखवाने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) बालिका छात्र सैनिकों के प्रशिक्षण की कौनसी शाखायें हैं ; और

(ग) सेना के आज्ञप्त और अनाज्ञप्त अधिकारी वर्ग के पद और संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) लगभग ८५०.

(ख) बालिका छात्र सैनिकों को निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है :—

(क) शारीरिक प्रशिक्षण ।

(ख) स्क्वेड ड्रिल (पलटन की कसरत)।

(ग) मैप रीडिंग (मानचित्र पढ़ना)

(घ) सिगनल्स (सांकेतिक भाषा) ।

(ङ) प्राथमिक उपचार ।

(च) स्वास्थ्य-रक्षा तथा स्वच्छता ।

(छ) होम नर्सिंग (घरेलू शुश्रूषा) ।

(ग) इस समय २० महिला पदाधिकारी और ६०० बालिका छात्र सैनिक हैं। लगभग २५० बालिका छात्र सैनिकों ने प्रशिक्षण पूरा होने अथवा अन्य कारणों से निकाय छोड़ दिया है।

अनुसूचित जातियों के लिए क्षात्रवृत्तियें

१३. डा० सत्यावादी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के लिये जिन अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों के क्षात्रों को क्षात्र-वृत्तियां दी गई थीं उनकी राज्य वार संख्या क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना अजाद) : माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर आमंत्रित किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध-संख्या २७]

केन्द्रीय सचिवालय में बिना बारी के पदोन्नति

१३. श्री एम० एल० द्विवेदी : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री दिनांक १६ सितम्बर १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३११ और उसके अनुपूरकों के उत्तरों की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और विभाजन के पश्चात नियुक्त किये जाने वाले उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की संख्या बतायेंगे जिनकी केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना के अधीन बिना बारी के पदोन्नति की गई है ?

(ख) इस प्रकार के कितने व्यक्ति (१) उपसचिव, (२) अवर सचिव, (३) सुपरिंटेन्डेन्ट (अधीक्षक), (४) सहायक सुपरिंटेन्डेन्ट और (५) प्रभारी सहायक के पदों पर पहुंचे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग १-३ के लिये विचार किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय विशेष सुविधायें दी गई थीं । आयोग द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी उन्हें यथाक्रम वर्गों में नियुक्त कर दिया गया । इस प्रकार सहायक सुपरिन्टेंडेंट के पद पर नियुक्त किये गये कुछ विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की पदावनति होने से रक्षा की गई । योजना कार्यान्वित होने से पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी पदों पर काम करने वाले स्थाई विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की भी अनिरीक्षणिक पदों पर होने वाली पदावनति से रक्षा की गई यद्यपि ये मामले ऐसे थे जिनमें वे निरीक्षणिक पदों पर बने रहने की उच्च स्थिति में नहीं पहुंच पाये थे। इस तरह रक्षित किये गये मामलों के अतिरिक्त, इस समय सहायक सुपरिन्टेंडेंट के पदों के लिये बिना बारी के लगभग एक दजन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग की मंत्रणा से विचार किया जा रहा है ।

(ख) उपरोक्त सीमा के सिवाय निर्दिष्ट किये गये किसी भी वर्ग की बिना बारी के पदोन्नति नहीं की गई है ।

आई० सी० एस० पदाधिकारी

१४. श्री एस० एन० दास : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत सरकार और

विभिन्न राज्य सरकारों में काम करने वाले आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) गैर भारतीय आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जो अभी भी भारत में सेवारत हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३६२; इन में २२३ विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन सेवा युक्त हैं और १३९ केन्द्र के अधीन हैं ।

(ख) चार ।

टिटेनियम

१५. श्री बी० सी० दास : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री दिनांक ४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में जिस क्षेत्र में टिटेनियम पाया गया है उसका विस्तार और वहां से उपलब्ध खनिज का गुण भेद निर्धारित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): टिटेनियमयुक्त कोई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ उडीसा के क्योंझर जिले में नहीं पाया गया है ।

फुलझोरा हुली के पूर्व में वनाडियम की कुछ धातु, जिसमें टिटेनिफेरस मैंगनेटाइट के अंश पाये जाते हैं, भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा १९४२-४३ में खोज निकाली गई और उनका अनुमान है कि इस से पांच लाख टन कच्चा लोहा प्राप्त होगा ।

भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा १९४९-५० में गोदासाही के उत्तर पूर्व में निम्न श्रेणी का वनाडिफेरस मैगनेटाइट पाया गया था ।

बृहस्पतिवार,
१८ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोउत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शाशकीय वृत्तान्त

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता की स्थिति की चर्चा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना मिली है, जिसमें कहा गया है कि इस सदन के प्रति उत्तर-दायी सरकार ने कलकत्ता की गम्भीर दुर्घटनाओं के बारे में राज्य परिषद में चर्चा करना स्वीकार कर लिया है, और इस सदन की इच्छा जानते हुये भी उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। मुझे पता नहीं कि उस सदन में क्या हुआ है ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): श्रीमान्, आपको याद होगा कि कल एक प्रस्ताव इस सदन में रखा गया था, जिसके सम्बन्ध में आपने एक निर्णय दिया था। मुझे उस निर्णय की बात नहीं करनी है। पर उसी समय परिषद् में भी एक वैसा ही प्रस्ताव रखा गया और उस पर सभापति महोदय ने कहा कि यद्यपि शिक्षा तथा शान्ति और व्यवस्था राज्य के विषय हैं न कि केन्द्र के, फिर भी सदन के नेता और डा० काटजू से परामर्श करके उन्होंने निश्चित किया है कि कल छ: बजे एक घंटे भर तक इस विषय पर चर्चा हो।

कल प्रो० मुखर्जी ने इस सदन में ऐसी चर्चा की मांग की थी। अनुच्छेद ७५ (३) के अनुसार मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से केवल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है और सदन की मांग की दृष्टि में इस पर चर्चा होनी चाहिये थी। ढाई वर्ष से आपने यह परम्परा चला रखी है कि स्थगन प्रस्ताव आने पर प्रस्तावक और सरकार दोनों को वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है, पर कल सरकार ने एक वक्तव्य तक देना उपयुक्त न समझा। यह बड़ी गम्भीर बात है और इससे इस सदन का अपमान हुआ है। आशा है, आप मेरे इस प्रस्ताव को नियमा-नुकूल ठहरायेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कल मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। प्रक्रिया की कई बातें उठीं और आपने उसे अनियमित ठहरा दिया। कलकत्ते का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ने

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अपनी भावनायें व्यक्त करते हुए आपको समझाने की चेष्टा की । उस समय सदन के नेता और गृह मंत्री दोनों ही उपस्थित थे। आपने फिर अपना पहला निर्णय दुहरा दिया । उससे वातावरण बदल गया; पर मुझे वे सब बातें न दुहरा कर यही कहना है कि परिषद् के सभापति ने गृह मंत्री से परामर्श करने का निर्देश दिया है, जो इस सदन में कल उस प्रस्ताव के उठने से पहले ही हो चुका होगा । मंत्रि-परिषद् इस सदन के प्रति ही उत्तरदायी है, उस सदन के प्रति नहीं । अब जो बात पता चली है उससे लगता है कि इस सदन को ठुकराया गया है । इस समस्या ने अब भी लोगों को विचलित कर रखा है, और आशा है अब भी सरकार इस सदन को एक अवसर प्रदान करने की चेष्टा करेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान, इस प्रश्न की विशेषताओं पर तो आपको विचार करना है, पर इस बात से यह भी उपलक्षित होता है कि हमने कुछ षड़यंत्र कर रखा था और जान बूझ कर एक सदन को अवसर दिया और दूसरे को नहीं । मेरे सहयोगी बताएंगे कि ऐसी बात न थी । मुझे तो पता भी न था कि उस सदन में क्या हुआ। मुझे तो कल शाम को ही पता लगा कि स्थगन प्रस्ताव तो नहीं, पर एक तथ्यात्मक विवरण रखा जाएगा, और शायद इसका सुझाव सभापति महोदय ने दिया था और मेरे सहयोगी इससे सहमत हो गये थे। हमने कभी भी वैध या प्राविधिक रूप में सदन से कोई बात छिपानी नहीं चाही है, भले ही प्राविधिक रूप में ऐसा हो गया हो ।

श्रीमान्, कुंभ दुर्घटना के संबंध में हमने तथ्य बता दिये थे । पर उसे पूर्व-दृष्टान्त नहीं मानना चाहिए; अन्यथा हमारे सामने राज्य से सम्बन्धित समस्याओं की श्रृंखला खड़ी हो जाएगी । मेरी समझ में नहीं आता कि इस विशेष समस्या को लेकर माननीय सदस्यों ने कल किस कारण ऐसा अनुचित रवैया अपनाया था; वे न केवल आपके निर्णय के बाद बाहर चले गए थे, बल्कि उन्होंने जोरशोर से अपनी बातें कहीं थीं (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यही कह रहा हूं कि यह अजीब बात है कि आपको और सदन की प्रतिष्ठा के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार दिखा कर वे हम से चाहते हैं कि हम चुप न रह कर उनकी बात का उत्तर देते । पर हमने उनके दुर्व्यवहार पर चुप रहना ही उचित समझा ।

डा० काटजू : श्रीमान्, मेरे नाम का उल्लेख किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि राज्य-परिषद की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली में 'तथ्य जानने के लिये संकल्प' (मोशन फार पेपर्स) का विशेष उपबन्ध है । ऐसे संकल्प की सूचना दी गई थी । मुझे पूछा गया कि क्या मुझे इस संकल्प पर कोई आपत्ति है । मैं ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उक्त नियमावली पढ़ी नहीं है किन्तु मुझे बताया गया था कि परिषद् के सभापति की राय है कि इस पर विचार किया जा सकता है । मेरी ओर से कोई आपत्ति न होने के कारण आज उस संकल्प पर चर्चा की अनुमति दी गई थी ।

किन्तु यहां तो स्थगन प्रस्ताव का संबंध था जिसके बारे में निश्चित नियम हैं ।

यदि इसके बारे में मुझे या सदन के नेता को पूछा गया होता तो संभवतः हमने भी वही प्राविधिक आपत्ति उठाई होती जो आपने कल उठाई थी। शायद कल आपने मेरे माननीय मित्र को यह सुझाव दिया था कि वे एक अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर अवश्य देता। इसमें टालने लायक कोई बात नहीं है। वस्तुतः मेरे पास जो जानकारी है वह सारी कलकत्ते के समाचार-पत्रों पर आधारित है। कल की अमृतबाजार पत्रिका में प्रत्यक्ष घटनाओं का वर्णन देने वाले चार स्तम्भ प्रकाशित हुए हैं। हर कोई इस बात को जानता है और इसमें छिपाने लायक अथवा सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है।

श्री गाडगील : क्या मैं जान सकता हूं कि जो बात नियमानुकूल नहीं है वह संबंधित मंत्री की अनुमति मात्र से नियमानुकूल बन जायेगी ?

डा० लंका सुन्दरम् : मेरा सैल्प केवल संवैधानिक तथा प्रक्रिया संबंधी है। कलकत्ते की घटनाओं के गुणावगुणों से उसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं अल्प सूचना प्रस्ताव की सूचना दे सकता था किन्तु शीघ्रता की दृष्टि से हमारे लिए स्थगन प्रस्ताव का एकमात्र मार्ग मौजूद है। हो सकता है कि मेरे में वह शिष्टाचार न हों जिसका एकाधिकार प्रधान मंत्री ने ले रखा है। सरकार स्वयं प्रेरणा से इस विषय में निवेदन दे सकती थी। इस सदन के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है उसका मैं निषेध करता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये बातें माननीय सदस्य के मुंह से शोभा नहीं देतीं जिन्होंने कल सभात्याग तथा घोषणायें कीं।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बात पर उत्तेजित न होते हुए ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये। माननीय गाडगील द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मेरा विचार साफ है। सारे मंत्रियों की अनुमति से भी अनियमित बात नियमानुकूल नहीं बन सकती है।

आज के इस संकल्प का उद्देश्य सीमित है। प्रस्तावक कलकत्ते की घटनाओं के गुणावगुण में नहीं जाना चाहते हैं। किन्तु सरकार ने राज्य परिषद् में चर्चा की अनुमति दे कर तथा इस सदन में चुप रह कर इस सदन के साथ जो व्यवहार किया है उसके बारे में यह संकल्प है। कल तो मैं ने कहा था कि कलकत्ते की घटनाओं का मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि सरकार सहमत हो तो प्रस्तुत संकल्प पर एक घंटे की चर्चा की जा सकती है। क्या सरकार को इस संकल्प पर कोई आपत्ति है ?

डा० काटजू : इस बात का निर्णय आप को करना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् : सरकार ने मेरे संकल्प पर आपत्ति नहीं उठाई है और अब इसको अनुमति देना न देना आपके अधिकार में है। यदि सरकार इस पर आपत्ति उठाती है और उस समय यदि मेरे पचास साथी मेरा समर्थन करते हैं तब मेरे संकल्प को अनुमति दी जानी चाहिये। इस विषय में मैं आपसे अन्तिम निर्णय चाहता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका निर्णय तो सम्पूर्णतया आपके हाथ में है किन्तु मैं समझ नहीं पाया कि यह तुलना कैसे उत्पन्न होती है कि वहां क्या हुआ और यहां क्या हुआ। वहां की प्रक्रिया भिन्न है। किन्तु यदि इस विषय की चर्चा होनी ही

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं तो मैं चाहूंगा कि सभात्याग आदि सहित कल की सारी कार्यवाही की चर्चा की जाय।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) इसके लिये तो उन्हें एक पृथक प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि इस विषय की चर्चा पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ?

डा० काटजू : आपके द्वारा निर्णीत किसी बात पर हमें तनिक भी आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं समझता हूं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस बात पर साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे तक चर्चा होगी।

राज्य-परिषद् से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से निम्न दो सन्देश प्राप्त हुए हैं :

१ "राज्य परिषद द्वारा १६ फरवरी १९५४ को पारित रूप में औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक की एक प्रतिलिपि मैं भेजता हूं।"

२ "राज्य परिषद द्वारा १६ फरवरी, १९५४ को पारित रूप में इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि मैं भेजता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम, १९५२, पर नियुक्त संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय १८ मार्च, १९५४ तक बढ़ा दिया जाए।"

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक

सचिव : राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में मैं औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, १९५३ की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं।

सिडनी में हुए राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्री सम्मेलन के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं भारत सरकार की ओर से हाल में सिडनी में हुए राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। यह हाल के वर्षों में हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों के क्रम में एक था जिन का आशय राष्ट्रमण्डलीय देशों के मध्य इस मंत्रणा को सुगम बनाना है कि अपने भुगतान सन्तुलन को मज़बूत करने तथा विश्व व्यापार तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों द्वारा क्या नीतियां अनुसरित की जायें। माननीय सदस्यों के सूचनार्थ, इस सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि मैं सदन पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या ऐस–२०।५४] गत वर्ष हुए सम्मेलन के बाद के इस एक वर्ष में स्टर्लिंग क्षेत्र की भुगतान सन्तुलन स्थिति में सुधार हुआ है। पहले के वर्षों में की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप इस के सुवर्ण तथा डालर रिज़र्वों के सम्बन्ध में आया संकट दूर किया जा सका तथा अनवरत घटी को १९५३ के दौरान में मामूली बढ़ी में परिणत कर दिया गया। यह उत्साहजनक परिणाम सदस्य-देशों द्वारा आन्तरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में दृढ़-संकल्प कार्यवाही द्वारा प्राप्त हुआ है। इन नीतियों का सार यह है कि प्रत्येक देश अपने उत्पादन को अधिकतम करे तथा विदेशी बाज़ारों में एक प्रतियोगात्मक स्थिति प्राप्त करे जिस से कि इस के निर्यात तथा भुगतान सन्तुलन बने रहें तथा विश्व-पर्यन्त व्यापारिक विकास हो। केवल इतना ही काफी नहीं है

कि कोई देश अपने बाहरी व्यापार में ही सन्तुलन प्राप्त करे वरन् आयातों तथा निर्यातों के मध्य भी प्रत्येक देश को संतुलन प्राप्त करना है जिस से कि राष्ट्रमण्डलीय क्षेत्रों की वृहत् जनसंख्या के लिये उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त किया जा सके।

सदस्य देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि विश्व व्यापार पर युद्ध-काल से चले आते प्रतिबन्ध शनैः शनैः समाप्त किये जायें। इस से स्टर्लिंग में दृढ़ता आएगी। हमारा लक्ष्य मुक्त मुद्राओं की ओर अग्रसर होना है और स्टर्लिंग को मज़बूत बनाने वाली प्रत्येक कार्यवाही इस में योग देगी। भाग लेने वाले देशों ने ऐसी नीतियों का अनुसरण करने का निश्चय किया जिस से कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

गत सम्मेलन के बाद से, भाग लेने वाले विभिन्न देशों में आर्थिक विकास का पुनरीक्षण किया गया और सम्मेलन को इस बात पर सन्तोष हुआ कि यह विकास मज़बूत आधार पर प्रगति कर रहा है। यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत पारस्परिक सहायता तथा और अधिक विकास के लिये बाहरी सहायता के लिये अब भी काफी क्षेत्र हैं। इंग्लैंड राष्ट्रमण्डलीय देशों को लन्दन बाज़ार से अधिकाधिक पूंजी प्राप्त कराने में विशेष प्रयत्नशील रहा है और उस देश में प्राप्त कर लिये गये उत्पादन-स्तर से इस बात की आशा होती है कि उक्त स्रोत से और भी अधिक पूंजी प्राप्त हो सकेगी।

संयुक्त राज्य अमरीका के अर्थतंत्र में आने वाली कुछ कुछ अधोगति की प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में, इस सम्मेलन में विश्व व्यापार के सामान्य भविष्य का तथा कुछ जगहों पर व्यक्त किये गये इस डर का कि अमरीका में बड़े पैमाने पर मूल्य-अवपात प्रारम्भ हो जायगा, पुनर्विलोकन किया गया। अमरीका में होने वाले किसी बड़े पैमाने के मूल्य-अवपात का न केवल अमरीकी अर्थतंत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा वरन् उतना ही कुप्रभाव इस का स्टर्लिंग क्षेत्रों पर भी पड़ेगा तथा अन्य बाहर के देशों पर पड़ेगा। सम्मेलन को उपलब्ध आंकड़ों से इस बात की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती कि यदि वहां मूल्य-अवपात बढ़ा भी तो अधिक नहीं बढ़ेगा तथा दीर्घ-कालिक नहीं होगा, और इस अवपात के प्रभाव को स्टर्लिंग क्षेत्रों के दीर्घ-कालीन लक्षों पर नहीं पड़ने देना चाहिये। यह भी आशा करना उचित है कि अमरीकी प्रशासन स्वयं ऐसे पग उठाए गाजिस से कि यह मूल्य-अवपात मन्दी का रूप न धारण कर ले। सम्मेलन को अपने इस दृष्टिकोण में अमरीकी प्रेसीडेंट द्वारा कांग्रेस को दिये गये इस सन्देश से बड़ा प्रोत्साहन मिला कि वहां मन्दी नहीं आएगी।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तथा भुगतान को यथासम्भव व्यापक बनाने, आयात प्रति-बन्धों में कमी करने तथा अन्त में उन्हें समाप्त करने और स्टर्लिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं की परिवर्त्यता प्राप्त करने सम्बन्धी सामान्य नीति का इस सम्मेलन ने पुनः समर्थन किया। इन बातों के लिये ऋणी व साहूकार दोनों देशों को संयुक्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। किन्तु इन लक्ष्यों की प्राप्ति केवल सम्बन्धित देशों के आन्तरिक नीतियों के ठोस होने पर ही निर्भर नहीं है अपितु व्यापार करने वाले राज्यों द्वारा व्यापार-विस्तार में सहायक नीतियों के अंगीकृत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सदृश अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी निर्भर है। सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते पर कुछ समय होने वाले पुनरीक्षण के पूर्व राष्ट्रमण्डलीय देश परस्पर मंत्रणा करें।

[श्री सी० डी० देशमुख]

सम्मेलन में हुई चर्चा में, भाग लेने वाले राष्ट्रमण्डलीय देशों को विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर खुले रूप से और पूरी तरह विचारों के आदान-प्रदान का मौका मिला। सभी ने यह अनुभव किया कि गत बारह मासों में राष्ट्रमण्डलीय देशों तथा स्टर्लिंग क्षेत्र ने काफी प्रगति की है और हम एक संकटकालीन अवस्था को पार कर के एक सन्तोषजनक क्षेत्र में आ पहुंचे हैं, यद्यपि इस से आत्म-तुष्टि की भावना पैदा नहीं होनी चाहियें तथा व्यक्तिगत देशों के उत्पादन वृद्धि एवं विकास के प्रयत्न जारी रहने चाहियें। यह सच है कि इस प्रकार की अनिश्चितता भी विद्यमान है कि बड़े पैमाने पर मूल्य-अवपात प्रारम्भ हो जाए, किन्तु ऐसी दशा में मुझे विश्वास है कि हम स्टर्लिंग क्षेत्रों के बाहर के देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदृश संगठनों की ओर विश्वासपूर्वक देख सकते हैं वे इस अपवर्तन का परिहार करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपनी विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर के इस में पूरा योग देंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे आशा है कि सरकार हमें कुछ समय देगी जिस से कि वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर हम विचार कर सकें जैसा कि इंग्लैंड में वहां के वित्त मंत्री द्वारा उक्त सम्मेलन की रिपोर्ट हाउस ऑफ़ कामन्स में प्रस्तुत करने के पश्चात् वहां उस पर चर्चा हुई थी।

श्री सी० डी० देशमुख : एक माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सरकार को लिख चुके हैं और इस बात पर विचार किया जा रहा है।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : श्रीमान्, इस सिडनी सम्मेलन के पश्चात्, स्टर्लिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक नया प्रश्न उठ खड़ा है। १९ जनवरी को लन्दन में जापान के साथ एक व्यापारिक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता समस्त स्टर्लिंग क्षेत्र के लिये सहायक होगा और मैं जानना चाहता हूं कि इसे करने से पूर्व क्या इंग्लैंड की सरकार ने भारत सरकार से मशविरा किया था?

अध्यक्ष महोदय : इस का भी विचार बाद में किया जायेगा क्योंकि वक्तव्य के बाद अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती।

गैर-सरकारी सदस्यों क विधेयक तथा संकल्प सम्बन्धी समिति

द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

१९५३-५४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (**श्री एल० बी० शास्त्री**) : मैं १९५३-५४ में रेलों पर होने वाले केन्द्रीय सरकार के व्यय को पूरा करने के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं। **[पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या एस-२१।५४]**

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश, संख्या ५-९

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (**श्री विस्वास**) : परिसीमन आयोग अधिनियम,

१९५२ की धारा ९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत मैं निम्न आदेशों की एक प्रति सदन पटल पर उपस्थापित करता हूं :

(१) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ५, जो २१ दिसम्बर १९५३ को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, धारा ३ में प्रकाशित हुआ। **[पुस्कालय में रखा मया। देखिये संख्या एस–२२।५४]**

(२) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश, संख्या ६, जो २३ दिसंबर १९५३ को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, धारा ३ में प्रकाशित हुआ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२३।५४]**

(३) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ७, जो २९ दिसंबर १९५३ को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, धारा ३, में प्रकाशित हुआ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस— २८।५४]**

(४) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ७ की शुद्धि, जो १८ जनवरी १९५४ को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, धारा ३ में प्रकाशित हुई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-२४।५४]**

(५) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ८, जो ३० दिसंबर १९५३ को भारत के असाधारण राजपत्र भाग २, धारा ३ में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२५।५४]**

४ (६) भारत के परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ९, जो ३१ दिसंबर १९५३ को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग २, धारा ३ में प्रकाशित हुआ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२६।५४]**

निर्वाचन याचिकाओं की राज्यवार स्थिति के विवरण

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं सदन पटल पर प्रत्येक निम्न विवरण की एक प्रति, जिस में राज्यवार निर्वाचन याचिकाओं की स्थिति का वर्णन है, उपस्थापित करता हूं :—

विवरण संख्या १—इस में निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत निर्वाचन याचिकाओं की संख्या दी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२७।५४]**

विवरण संख्या २—इस में उन निर्वाचन-याचिकाओं की

[श्री बिस्वास

संख्या दी है जिन्हें निर्वाचन आयोग ने या तो रद्द कर दिया था या उन्हें वापस लेने की अनुमति दे दी थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–२७। ५४]**

विवरण संख्या ३––इस में उन याचिकाओं की संख्या दी है जो सुनवाई के लिये निर्वाचन अधिकरण को भेजी गई थीं, जिनका उन्हों ने निर्णय कर दिया था तथा वे याचिकायें जो उनके व निर्वाचन आयोग के पास अनिर्णीत पड़ी हैं। **[पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या एस–२७। ५४]**

विवरण संख्या ४––इस में उन याचिकाओं की संख्या दी है जिन का निर्णय निर्वाचन अधिकरणों ने किया था। **[पुस्तकालय में रखा है। देखिय संख्या एस–२७। ५४]**

विवरण संख्या ५––इस में उन सामान्य निर्वाचन-याचिकाओं की संख्या दी है जो निर्वाचन अधिकरणों के पास अनिर्णीत पड़ी हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एस–२७। ५४]**

विवरण संख्या ६––इस में उप-निर्वाचनों की उन याचिकाओं की संख्या दी है जो निर्वाचन अधिकरणों तथा निर्वाचन आयोग के पास अनिर्णीत पड़ी हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। दखिय संख्या एस–२७। ५४]**

विवरण संख्या ७––इस में सामान्य निर्वाचनों की १९ निर्वाचन-याचिकाओं के निर्णय होने में विलम्ब होने के कारण दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एस–२७। ५४]**

सौराष्ट्र के राज प्रमुख तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बीच समझौते

वित्त उपमंत्री (श्री ए०सी० गुहा): रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, १९३४, की धारा २१क की उपधारा (२) के अन्तर्गत में सौराष्ट्र के राज प्रमुख तथा रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के बीच, २३ दिसम्बर १९५३ को हुए मुख्य तथा पूरक समझौते में से प्रत्येक की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–१९।५४]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ८ अधिसूचनाएं

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८, की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत प्रत्येक निम्न अध्यादेश की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :––

(१) २६ नवम्बर १९५३ की सीमा शुल्क संख्या ९१; तथा

(२) २६ नवम्बर १९५३ की सीमा शुल्क संख्या ९२। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१८/५४]

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि में वृद्धि

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "मुस्लिम वक्फ विधेयक पर नियुक्त की गई प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दी गई अवधि ६ मार्च, १९५४ तक बढ़ा दी जाए।"

प्रवर समिति का कार्य वस्तुतः समाप्त हो चुका है। किन्तु इस ने विधेयक को सल बनाने के लिये सम्पूर्ण विधेयक के मसविदे को फिर से लिखने का निर्णय किया है। इस के लगभग ७५ खंडों में से ५५ या ६० तो हो चुके हैं, केवल कुछेक शेष हैं। इस के बाद यह मुद्रित होना है। इसीलिये हम समयावधि में वृद्धि करने का निवेस्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद के प्रस्ताव तथा उस के संशोधनों पर अग्रेतर विचार करेंगे।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : श्रीमान्, वर्तमान पाक-अमरीका समझौता तथा अन्य समस्याओं की दृष्टि से हमें भी बहुत सी बातों में विश्वास करना चाहिये। हम अन्य राष्ट्रों पर विश्वास कर सकते हैं परन्तु फिर भी किसी भी आकस्मिक घटना का सामना करने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। हम पाकिस्तान की सद्भावना पर विश्वास कर सकते हैं। इतने पर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तान के लिये यह सम्भव है कि वह फौजी सहायता से लाभ उठाये तथा हमें परेशान करना आरम्भ कर दे। यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम इस उपेक्षा के लिये अपराधी होंगे। सम्भव है कि संयुक्त राष्ट्र तथा पश्चिम लोक-वाणी कभी हस्तक्षेप करे, परन्तु तनिक सोचिये कि यदि दो या तीन दिन के लिये हमारे नगरों पर बम्ब गिराये जाते हैं, या जासूसी कार्यवाही होती है, संचरण लाइनों पर आक्रमण होता है, तो क्या स्थिति होगी ? इन तथ्यों के बावजूद कि हम अपने वार्षिक राजस्व का ५५ प्रति शत रक्षा पर व्यय कर रहे हैं, राष्ट्रपति रक्षा बलों के महा सेनापति हैं, तथा प्रधान मंत्री देश के रक्षा मंत्री हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने देश की रक्षा का क्या प्रबंध किया है। क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि देश अचानक-आक्रमण का सामना करने को तैयार है ? आधुनिक हथियारों के अतिरिक्त जो आप को अन्य देशों से मोल लेने पड़ सकते हैं, क्या आप ने देश में जन-शक्ति को संगठित करने का प्रयत्न किया है ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

क्या आप ने किसी भी रूप में जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने, उन्हें संगठित करने तथा यह देखने के लिये कि वे युद्ध के समय आप के सहायक होंगे, उन की सहायता लेने का कोई प्रयत्न किया है ? आप के लिये यह उचित था कि आप देश में अपने हज़ारों भतपूर्व सैनिकों से लाभ उठाते। यदि आ

[श्री यू० सी० पटनायक]

हमारा--विरोधी दल वालों का--विश्वास नहीं करते तो आप तथा आप के मित्र देश को संगठित करने का प्रयत्न कर सकते थे। आप देश की अगवाई करें तथा किसी भी आकस्मिक आवश्यकता, बाहर से होने वाले किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिये एक नई व्यवस्था बनायें। क्योंकि आक्रमण केवल बड़ी बड़ी सेना का ही नहीं होगा अपितु विमानों के साथ साथ जासूसों के द्वारा भी होगा। मैं डर उत्पन्न करने या आप की कठिनाई बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं अपितु चाहता हूं कि आप उस स्थिति का ध्यान करें तथा उस के लिये तैयार रहें। उस के लिये केवल सेना की ही आवश्यकता नहीं होगी अपितु स्थिति का सामना करने के लिये यथोचित रूप में संगठित जन-शक्ति का होना आवश्यक होगा।

सहायक प्रादेशिक सेना की स्थापन करने के विषय में गत वर्ष एक प्रस्ताव था हमें बताया गया था कि इस उद्देश्य के लिये सरकार एक विधेयक प्रस्तुत कर रही थी। पिछले सत्र में जब पाक-अमरीकी गठबन्धन की बात काफ़ी बढ़ गयी थी तो कुछ संसत्सदस्यों की एक बैठक हुई तथा हम ने रक्षा मंत्रियों से प्रार्थना की थी कि वे हमारे विचार सुनने के लिये उस विचार विमर्श में भाग लें। परन्तु उन्हों ने उस में भाग नहीं लिया। हम यह नहीं चाहते थे कि वे रक्षा-रहस्यों आदि को बतायें। परन्तु अब हमें बाध्य हो कर सदन में रक्षा मामलों पर बोलना पड़ रहा है। हमें महसूस होता है कि सरकार हमें बेकार ही उस स्थिति की ओर ढकेलने का प्रयत्न कर रही है जिस में हमें बाध्य हो कर होने वाले आक्रमण तथा उस का सामना कैसे किया जाये, के बारे में कुछ कहना पड़े। यह वास्तविक युद्ध का प्रश्न नहीं है अपितु देश की शक्ति को संगठित करने का प्रश्न है।

इस सम्बन्ध में मैं युद्धास्त्र-उत्पादन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हमारा विचार है कि देश में युद्धास्त्र-उत्पादन उचित रूप से नहीं हो रहा है तथा हम चाहते हैं कि इस में वृद्धि की जाये। इस में सन्देह नहीं कि आप सैनिक तथा असैनिक दोनों ओर ही विदेशी परामर्शदाताओं पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। परन्तु जब पाकिस्तान अमरीकी सहायता प्राप्त कर के इस देश पर आक्रमण कर रहा है तो आप उन पर कब तक विश्वास कर सकते हैं?

जहां तक आज के विचार विमर्श का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में आप को राष्ट्र की रक्षा के संबंध में विचार करना है तथा आप लापरवाही का व्यवहार नहीं अपना सकते हैं। यह एक स्वर्ण अवसर है जबकि सरकार समस्त देश का समर्थन प्राप्त कर सकती है। कुछ मित्रों ने कल बताया था कि इस सम्भावी ख़तरे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता महसूस की जा रही है तथा देशभक्ति का संचार हो रहा है। यह खेद की बात है कि आप इस सुअवसर से यथोचित लाभ नहीं उठा रहे हैं।

श्री एच० एन० मकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैं अपने संशोधन द्वारा इन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं:

(१) पाकिस्तान-संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बीच हाल ही में उत्पन्न हुए सम्बन्ध से खतरा।

(२) तटस्थ राष्ट्र पुनरावर्तन आयोग तथा संरक्षक कटक द्वारा कोरिया में वास्तविक निबटारा करने के सम्बन्ध में असफलता।

(३) कुम्भ मेले की दुखद दुर्घटना के वास्तविक रूप को न समझना तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटना न होने देने के सम्बन्ध में लोगों को आश्वासन न देना।

(४) सीमा आयोग का असन्तोषजनक संगठन।

(५) देश में अनाज की कीमतों, बेरोज़गारी तथा मन्दी पर ध्यान न देना।

जिन मोटी मोटी बातों की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं उन्हें मैं ने ऊपर बतलाया है और इन में से मैं सब से पहले कुम्भ मेले की दुर्घटना को लेता हूं। कलकत्ते में जो गोलीकाण्ड हुआ है उस को सरकार किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहरा सकती है। कुम्भ मेले की दुर्घटना को बचाया जा सकता था। पहले तो इस बात का प्रचार किया गया कि अधिक से अधिक लोग संगम पर स्नान के लिये आयें और सरकार को आशा थी कि लगभग ६० लाख व्यक्ति आयेंगे। लेकिन इन व्यक्तियों के लिये जो प्रबन्ध किया गया वह जरा भी संतोषजनक नहीं था। यद्यपि राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री दोनों ही ने मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रगट की है किन्तु उन के वक्तव्यों से पता लगता है कि लाखों की भीड़ में ऐसा हो जाना कोई असाधारण बात नहीं थी।

इलाहाबाद के वकील संघ ने दुर्घटना के दूसरे ही दिन अपने एक संकल्प में यह कहा था कि ऐसी दुर्घटना को बचाया जा सकता था यदि कुम्भ मेले का प्रबन्ध ठीक से किया गया होता तथा पुलिस वालों को बड़े बड़े लोगों के पीछे न घूमना पड़ता। यहां तक कि "एक तरफा रास्ता" वाले साधारण नियम का भी पालन नहीं किया गया था। जब राष्ट्रपति स्नान कर रहे थे तो उन की देख भाल के लिये ही तीन हज़ार पुलिस वालों को काम पर लगा दिया गया था। मैं पूछ सकता हूं कि बड़े बड़े व्यक्तियों के पीछे इतनी पुलिस क्यों लगाई गई?

मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि उसी दिन सरकारी भवन में इन बड़े बड़े लोगों ने दावत उड़ाई। और तो और, प्रधान मंत्री तो शाम को ही चुनाव दौरे पर निकल गये। मैं पूछ सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का इस प्रकार दुर्घटनास्थल से चला जाना ठीक था?

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिये जो जांच कमेटी नियुक्त की है उस के निर्देश पद बहुत ही सीमित रखे गये हैं तथा इस कमेटी में ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों की संख्या भी अधिक नहीं है। अतः इस में हमारा कोई विश्वास नहीं है। इस दुर्घटना के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध को देखने से पता लग जाता है कि आजकल की हमारी सरकार नागरिकों की किस प्रकार से उपेक्षा करती है। वर्तमान सरकार धर्मनिर्पेक्ष होने का दावा भरती है। मगर न तो वह धर्म निर्पेक्ष है और न ही प्रजातंत्रात्मक। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने कुम्भ मेले का प्रबन्ध किया था उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये तथा दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धियों को हर्जाना दिया जाये।

धर्मनिर्पेक्षता के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान त्रावनकोर-कोचीन में होने वाले चुनाव की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर गिरजों में उपदेश दिये जाते हैं कि वामपक्षों के संयुक्त दल को वोट न दी जाये। 'चर्च गजट' में छापा जाता है कि वामपक्ष वालों को वोट देना पाप है। इस तरह धर्म की आड़ ली जाती है। फिर भी, सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कर रहीं हैं। इन बातों से पता लग जाता है कि वर्तमान सरकार कितनी धर्म निर्पेक्ष है।

अब मैं संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा पाकिस्तान के बीच उत्पन्न होने वाले सम्बन्ध को लेता हूं। यद्यपि स्वयं प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में इस प्रकार के समझौते का विरोध किया है फिर भी, कांग्रेस में कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम भी अमरीकन सहायता स्वीकार करलें। मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने पाकिस्तान को वैसे ही सहायता नहीं दे दी है, इसमें भी उसकी चाल है।

यह सहायता हम दोनों देशों के लिये खतरनाक है। इसलिये हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे हम अमरीका के इस षड़यंत्र से, जिसके द्वारा वह सारे विश्व पर शासन करने की इच्छा रखता है बच सकें। हमारे लिये यह सोचे बैठे बिना बड़ी भारी ग़लती होगी कि सारा मामला बिना किसी चिन्ता के सरकार के हाथ में छोड़ा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित समझौते के खिलाफ केवल विरोध करने से अमरीका का खतरा दूर नहीं हो सकता। हमें यह याद रखना है कि इस विरोध के साथ साथ सरकार ने अमरीका से आर्थिक समझौते भी किये हैं। वास्तव में हमने स्टैंडर्ड वकुअम ऑयल कम्पनी जैसी इजारादार बड़ी अमरीकी फ़र्मों को काफ़ी रियायतें दी हैं और हमारे देश में तथाकथित अमरीकी विशेषज्ञों की भरमार है। हमारी यह नीति बहुत ख़तरनाक है। ये अमरीकी, हमारी प्रशंसा भी करते जाते हैं, हमारे प्रधान मंत्री का गुणगान भी करते जाते हैं और साथ साथ हमारे विनाश की योजनायें भी तैयार करते हैं। काश्मीर के षड़यंत्र को ही लीजिये; यदि हम समय पर नहीं चेत जाते तो उनकी चाल पूरी हो ही गई थी। आपको यह याद होगा ही कि हमारे देश में श्री डलेस, और श्री डिक्सन आये थे, जिन्होंने भारत के प्रति अपनी सहानुभूति और सद्भावना प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी परन्तु बाद में यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर अमरीकी पाकिस्तान समझौते की तैयारियां कीं। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हमें अमरीकी सहायता स्वीकार करने के लिये ताना दे सकते हैं। हमें अमरीकी गुट का पिट्ठू भी माना जाता है। हमारी स्थिति अजीब सी हो गई है और इसीलिये लोग देश के चारों ओर के ख़तरों के बारे में चिन्तित हैं। हमारी तथाकथित तटस्थ नीति भी सफल नहीं रही है। इसीलिये मेरा यह कहना है कि जब तक हम अमरीकी साम्राज्यवादियों के चंगुल से दूर नहीं होते, तब तक हम इस ख़तरे से बचने के लिये और जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा नहीं सकेंगे।

मैं अब थोड़ा सा कोरिया का ज़िक्र करूंगा। मैं तटस्थ राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष, जनरल तिमय्या और भारतीय संरक्षक कटक के प्रति कोई अप्रशंसात्मक शब्द नहीं कहना चाहता। मुझे मालूम है कि उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा था और उन्हें बार बार ग़लत काम करने के लिये मजबूर भी किया गया था परन्तु मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष ने और हमारी संरक्षक कटक ने ज़रूरत से ज्यादा दब कर काम किया। इसीलिये कई महीने पहले अमरीकनों ने २७,००० युद्धबन्दियों को भाग जाने दिया था। हमें मालूम है कि जनरल तिमय्या को कितनी परेशानी हुई थी जब युद्ध बन्दियों को समझाने के लिये नियत ९० दिनों में संयुक्त राष्ट्र कमान की चालबाज़ियों के कारण केवल १० दिन कार्य

हो सका। हम अवश्य लज्जित हुये होंगे जब २२ जनवरी को हजारों युद्धबन्दी अमरीकी कमान को वापिस किये गये थे ताकि वे सिगमन री या चाइंग-काई-शेक के अनुयायियों के साथ मिल जायें। यह सब हमारे जनरल के इस बात के जानते हुये हुआ था कि यह चीज़ नियमों की वास्तविक भावनाओं के विरुद्ध है। ये बातें ऐसी हैं जिनसे हमें चिन्ता होती है। कल ही आपने पढ़ा होगा कि जनरल तिमय्या को किस तरह उन लोगों को, जिन के ख़िलाफ हत्या का अपराध निश्चत हो चुका था, अमरीकी कमान को सौंपना पड़ा। जनरल तिमय्या को विरोध दिखाते हुये ऐसा करना पड़ा। मैं पूछता हूं किऐसा क्यों हुआ? हम उनसे इतना क्यों दबते हैं? इसकी वजह सिर्फ़ यही है हम अमरीका के साथ इतने ज्यादा धुले मिले हैं कि हमारे लिये स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी बात कहना भी मुश्किल हो गया है। हम कोई काम अपनी इच्छानुसार या अपने विवेकानुसार नहीं कर सकते। हमें चाहिये कि हम इस अमरीकी गुट से अलग हो कर दृढ़तापूर्वक अपनी नीति का अनुसरण करें। मैं जानता हूं कि भारतीय अध्यक्ष को बड़ी कठिनाइयों में काम करना पड़ा था, परन्तु उन्हें कुछ दृढ़ता से भी काम लेना चाहिये था। अब इसका एक इलाज यही है कि सुदूर-पूर्व में शान्ति रखने के सम्बन्ध में पांच बड़ी शक्तियों का एक वास्तविक सम्मेलन बुलाया जाय। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार आगे बढ़े और इन देशों के नेताओं को सम्मिलित करवा कर विश्व में शान्ति स्थापित करने में अपना योग दे।

अमरीका के संबंध में हमारी कमजोर नीति कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था भी बहुत कुछ हद तक ब्रिटिश पूंजी पर और विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिले हुये देश के स्वार्थी पक्षों पर आधारित है। पाकिस्तान-अमरीकी समझौते ने हमारे सामने यह चीज़ स्पष्ट कर दी है परन्तु फिर भी हम अपनी आंखें बन्द किये हुये हैं। हम लोगों में अभी यही भावना है कि सरकार पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाये, वह जो करेगी सो ठीक करेगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमें सब कुछ प्रधान मंत्री पर छोड़ देना चाहिये, उनके हाथों में हम सब सुरक्षित हैं। परन्तु मैं यह कहूंगा कि सिर्फ़ इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि अमरीका–पाकिस्तान-समझौता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दम से हमारे सामने आ गई हो। यह एक पुराना षड़यंत्र है जिसकी वर्षों से तैयारी की जा रही है। यह वह जाल है जिसे इस देश के ब्रिटिश पूंजीवादी और उनका साथ देने वाले स्वार्थी लोग बहुत पहले से बिछा रहे हैं और जिनके कार्यों से हमारी अर्थ व्यवस्था का शनैः शनैः विनाश हो रहा है। तो हमारे सामने बड़ा भारी ख़तरा है, जिससे हमें हर क़ीमत पर बचना है। हमें अपनी रक्षा के लिये तैयार होना है; हमें अमरीका की मित्रता प्राप्त करने के बदले में काश्मीर सौंप देने के सुझाव का डट कर मुक़ाबला करना है। मैं ने २९ जनवरी, १९५४ को "ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट" में, जिसे बिड़ला चलाते हैं, एक संपादकीय लेख पढ़ा था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अमरीकी मित्रता को बनाये रखने के लिये हमें काश्मीर को दे देना चाहिये। इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिसका नतीजा यह है कि हम अपने आप को एक विचित्र सी स्थिति में पाते हैं। हमारे देश के लोगों को स्थिति की गम्भीरता के विषय में ज्ञान नहीं कराया जाता। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं किया गया है कि देश कि वास्तविक आवश्यकतायें क्या हैं और किस तरह सरकार

[श्री यू० सी० पटनायक]

को अपनी आन्तरिक एवं बाह्य नीति का, वर्त्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, पुनःनिर्माण करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्म-तुष्टि की जो भावना है, हमें उसे दूर करना है। इस अभिभाषण से एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि जिस ढंग पर हमारा वर्त्तमान शासन चल रहा है उसे हमारी जनता अधिक समय तक सहन नहीं कर सकेगी।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : साम्यवादी दल के उपनेता में गालियों की बौछाड़ करने का जो साहस है मैं उसका मुकाबिला करना निरर्थक समझता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में केवल कुछ शब्द कहूंगा।

सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति के आभारी हैं कि उन्होंने आज हमारे समक्ष जो खतरे हैं उनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है। कुछ खतरे बाहर से हैं और कुछ हमारे गृह क्षेत्र में भी हैं। मैं गृह क्षेत्र के खतरों अर्थात् कलकत्ता की घटनाओं के संबंध में कुछ कहूंगा।

गत जुलाई में मैं ने वहां देखा कि सारी खलबली का मूल कारण साम्यवादी दल ही था। गलियों में निर्दोष लोगों पर जो बम फेंके जा रहे थे तो वह साम्यवादी दल का एक संगठित षड़यंत्र था। अब भी इसी बात को दोहराया गया है।

मदुराई में उनके सम्मेलन से कुछ पूर्व एक प्रलेख मेरे हाथ लगा जो साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के सदस्यों को भेजा गया था। उसका शीर्षक साम्वादी दल की "कुशल कार्यप्रणाली" है। उसमें कहा गया है कि वर्तमान भारतीय राज्य को क्रान्ति रा उलटकर नता का लोकतन्त्रात्मक राज्य बनाने से साम्यवादी दल का उद्देश्य पूरा हो सकता है।

दूसरे पदच्छेद में कहा गया है कि सब वैध साधनों का प्रयोग करते हुए दल की अवैध व्यवस्था को भी अत्यधिक शक्तिशाली बनाना आवश्यक है।

तीसरी बात यह कही गई है कि सब औपनिवेशिक देशों में वर्ग युद्ध एक बड़ा साधन है। परन्तु जीत के लिए केवल यह साधन पर्याप्त नहीं। इसके साथ ही मजदूर वर्ग की हड़तालें, व्यापक हड़तालें और नगरों में मजदूरों का सशस्त्र विद्रोह---ऐसे बड़े साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार दो मूल कारकों, अर्थात् कृषकों का वर्ग युद्ध और नगरों में मजदूरों के विद्रोह का एक साथ चलाना अत्यावश्यक है।

उस में चौथी बात यह है कि नगरों में मजदूरों के विद्रोह और व्यापक हड़तालों से सरकार अपनी शक्तियों को केन्द्रित नहीं कर सकेगी और स्वतः नष्ट हो जायेगी। सरकार की सशस्त्र सेनाओं में भी क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित होगी।

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता की परिस्थिति पर चर्चा करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्ताव का न प्रस्तुत करना

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। चर्चा आरम्भ होने से पूर्व मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्ताव किस प्रकार का है और इस पर किस प्रकार की चर्चा हो सकती है। यह एक प्रकार का निन्दा-प्रस्ताव है। यद्यपि सारी सरकार के प्रति नहीं परन्तु कम से कम सरकार के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव अवश्य है। दूसरे, जैसाकि प्रस्ताव

प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है, प्रस्ताव का प्रयोजन सरकार के दुखजनक व्यवहार की चर्चा है। यह चर्चा कलकत्ता की घटना के सामान्य प्रश्न की नहीं है। इसलिए इसे नियत समय में समाप्त करने की आवश्यकता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): मैं आपका ध्यान नियम ८१ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि साढ़े ६ बजे अथवा वाद-विवाद आरम्भ होने के ढाई घंटे पश्चात् प्रश्न रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ध्यान रखें कि अध्यक्ष को नियमों का पर्याप्त ज्ञान है।

यह प्रस्ताव विशेष प्रकार का है इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में पुरःस्थापित किया गया था और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। सभा की अनुमति से चर्चा के लिए एक घंटे का समय निश्चित किया गया है। इसलिए इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जाएगी।

कुछ माननीय सदस्य: यह स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे कुछ भी नाम दें, परन्तु इसकी कालावधि एक घंटा है। साथ ही क्योंकि यह प्रस्ताव एक प्रकार का निन्दा प्रस्ताव है, इसलिए मैं इस पर लम्बी चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं दे सकता। एक घंटे के पश्चात इस पर मत लिया जायेगा इस लिए वक्ताओं और भाषणों की संख्या सीमित करनी होगी। जैसा मैं ने पहले कहा यह विषय सीमित है। कल इस सदन में क्या हुआ अथवा अन्य सदन में क्या हुआ इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। यह चर्चा केवल सरकार के इस सदन के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में होगी। मैं आध घंटा प्रस्तावकों अथवा प्रस्ताव के समर्थकों को और आध घंटा सरकार को देता हूं। सरकार के उत्तर के पश्चात मत लिया जायेगा।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये ताकि इस प्रत्यक्षतः महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाये कि सरकार ने, जो कि इस सदन के समक्ष उत्तरदायी है, कल कलकत्ता की दुखद घटनाओं पर चर्चा के लिये राज्य परिषद् में सहमति दे दी है, जब कि इस विषय के संबंध में इस सदन की भावनाओं को जानते हुए भी, उसने स्वयं इस प्रकार की चर्चा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोई कार्यवाही नहीं की।"

वर्तमान संसद् के इतिहास में यह सर्वप्रथम स्थगन प्रस्ताव है। विशिष्ट भावार्थ के कारण मेरा प्रस्ताव सीमित है। इसलिये मैं कलकत्ता की घटनाओं और कल जो कुछ इस सदन में और जो कुछ दूसरे सदन में हुआ उस संबंध में प्रश्न नहीं उठाऊंगा।

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में मेरा प्रयोजन यह है कि मैं सदन को बता सकूं कि मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों के बीच सहयोग नहीं है। इसी प्रकार सरकार का दोनों सदनों के साथ तथा सदनों के पारिस्परिक संबंध के प्रति व्यवहार भी ऐसा नहीं है जैसा कि होना चाहिये। सदन के माननीय नेता ने पहले बताया है कि कल लगभग डेढ़ बजे माननीय गृह मंत्री को पता लगा कि राज्य परिषद् में कुछ बातें हो रही हैं। उस लिये उन्हें वहां अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सहमत होना पड़ा। इस एक बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि सहयोग का अभाव है और आपके प्रति इतनी शिष्टाचार की भावना भी नहीं कि जो प्रबंध राज्य परिषद् में किये जाते हैं वही प्रबंध इस सदन में किये जायें। मैं ने इस बात का ध्यान रखा था

[डा० लंका सुन्दरम]

कि स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली दोनों सदनों में एक हो परन्तु इसका यह फल हुआ कि गृह मंत्री, अर्थात् उस सदन के नेता ने राज्य परिषद् में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी परन्तु इस सदन में ऐसा नहीं किया गया। मेरा सरकार की निन्दा करने का यही मूल आधार है।

इसमें कुछ संवैधानिक और प्रक्रिया संबंधी प्रश्न भी सन्निहित हैं। राज्य परिषद् के सभापति ने यह कहा कि यद्यपि विधि तथा व्यवस्था और शिक्षा राज्य विषय हैं परन्तु इस संबंध में जनसाधारण के भावों का ध्यान रखते हुये और डा० काटजू के परामर्श से मैं कल ६ बजे म० प० इस विषय पर चर्चा की अनुमति देता हूं। ठीक इन्हीं कारणों के आधार पर इस प्रस्ताव को यहां अनुमति नहीं दी गई थी। सरकार ने जब इसी प्रकार के प्रस्ताव की चर्चा के लिये राज्य परिषद् में अनुमति दे दी थी, तो वह कम से कम अध्यक्ष को इसकी सूचना तो दे सकती थी। अन्यथा वह इस सदन में भी वैसी ही व्यवस्था कर सकती थी और तभी अथवा उसके पश्चात् वक्तव्य दे सकती थी।

यदि सरकार ने अपना उत्तरदायित्व समझा होता और कल इस सदन की गरिमा के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की होती और इस बात का संकेत किया होता कि उन्हें दूसरे सदन में क्या करने का विचार है तो निस्सन्देह वह गार्मा गर्मी तथा अन्य बातें नहीं हुई होतीं जो कल इस सदन में हुईं। मैं समझता हूं कि इसमें सदन का अपमान है।

यही एक नहीं, अपितु कई और ऐसी बातें हुई हैं जब कि सरकार ने सदन के साथ अनुचित व्यवहार किया है। कम से कम तीन मामलों के बारे में ऐसा हुआ है। तीनों मामलों से यह प्रतीत होता है कि राज्य परिषद् के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल का इस सदन, अर्थात् लोक-सभा, के प्रति अनुचित व्यवहार रहा है जिससे इस सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है।

एक वर्ष से अधिक समय हुआ जब कि सदन के नेता ने एक प्रस्ताव रखना चाहा कि इस सदन की लोकलेखा समिति में राज्य-परिषद् के कुछ सदस्य भी सम्मिलित किये जायें। गत वर्ष के मई मास में हुये पहले दिन के वाद-विवाद के फलस्वरूप यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया और फिर दो लम्बे सत्रों के पश्चात् सरकार ने यह प्रस्ताव पुन: सदन के समक्ष रखा और बड़े अनुचित ढंग से ज़बरदस्ती इसको निपटा दिया।

दूसरा अवसर वह है जब मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री ने संयुक्त प्रवर समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा। बिना दूरदर्शिता के, मूल नियमों को ध्यान में न रखते हुये, संविधान तथा इस सदन की प्रक्रिया का कुछ ख्याल न करते हुये, सामान्य बहुमत से—जो सदा सरकार के साथ होता है—प्रवर समिति सम्बन्धी इस प्रस्ताव को भी इस सदन में ज़बरदस्ती निपटा दिया गया।

अन्तिम उदाहरण संसद् सदस्यों के आद्याक्षरों और उनके वेतन तथा भत्ते के भुगतान सम्बन्धी मिलीजुली समिति की रिपोर्ट का है। वास्तव में यह रिपोर्ट जुलाई, १९५२ में प्रकाशित हुई और १५ दिसम्बर, १९५३ के क्रम पत्र में माननीय विधि मंत्री के नाम यह प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु न तो इस रिपोर्ट पर ही सदन में चर्चा हुई और न ही क्रम पत्र पर रखा गया प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ फिर भी दूसरे सदन के सदस्य अपने लिये 'एम० पी०' का आद्याक्षर लिखते हैं। मैं

विस्तृत बातों में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति कैसे गैर ज़िम्मेदारी का व्यवहार करती है ।

श्रीमान्, आपने कुछ समय पहले ठीक कहा है कि यह एक निन्दा-प्रस्ताव है । मैं भी इसको निन्दा-प्रस्ताव के रूप में ही रखना चाहता हूं और निन्दा इस बात की करनी है कि सरकार कैसे अनुचित ढंग से इस सदन में अपना कार्य चला रही है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि यह एक निन्दा-प्रस्ताव है और इस पर मत विभाजन होगा । तो मेरे कुछ मित्र बहुत प्रसन्न हुये । उनको पता है कि उनके साथ बहुमत है । उनका बहुमत ही क्यों न हो फिर भी उससे एक गलत प्रक्रिया नियमानुकूल तो नहीं हो सकती । उससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं । मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा कि वह यह प्रस्ताव स्वीकार करें और मान लें कि गलती हुई है । उनकी निष्पक्षता तथा न्याय प्रियता विश्व भर में प्रसिद्ध है । और यदि वह स्वीकार न करना चाहें, तो वह हमें हरा सकते हैं और हम हार मान लेंगे । मैं अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं और यह बात मैं सदन के नेता पर छोड़ता हूं कि वह इसे स्वीकार करें या न करें ।

श्री रघु रामय्या (तेनालि) : इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं । अभी डा० लंका-सुन्दरम ने कहा था कि यह संयुक्त उत्तर-दायित्व का मामला है । चाहे वह विधि मंत्री हों अथवा कोई अन्य मंत्री किन्तु जो कुछ भी होता है उसका सम्पूर्ण दायित्व सरकार पर है । हम सभी यह चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिये । किन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम विशेष रूप से यह भी चाहते हैं कि संविधान और

विशेषतः अध्यक्ष की गरिमा बनी रहे श्री एच० एन० मुकर्जी के प्रस्ताव पर कल आपने कहा था श्रीमान्, कि शिक्षा तो पूर्णतः राज्यीय सरकार का विषय है । यह विधि और व्यवस्था का मामला है । देश के संवैधानिक ढांचे के बारे में माननीय सदस्यों को कुछ ज्ञान होना चाहिये । प्रत्येक राज्य का अपना विधान मंडल होता है और मैं समझता हूं कि किसी राज्य के स्वायत्व में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करना भूल होगी । जानकारी प्राप्त करने का सब से आसान और अच्छा तरीका अल्पसूचना वाला प्रश्न है ।

जब आपने इस प्रकार का स्पष्ट आदेश दे दिया है तो फिर एक मंत्री अथवा कोई सदस्य यह किस प्रकार कह सकते हैं, "श्रीमान्, आप के निर्णय के विपरीत मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।" कल सरकार बड़ी विषम स्थिति में थी। दूसरे सदन के सभापति ने सरकार से परामर्श करने के बाद कहा कि मैं इसकी चर्चा करने की अनुमति दूंगा; संभवतः यहां भी यही बात हो सकती थी । यदि यह बिल्कुल ही राज्य का मामला है तो भला किस प्रकार हम इसकी चर्चा कर सकते हैं ; क्या वे राज्य सरकार वाले यह न कहेंगे कि केन्द्रीय मंत्री को हमारे बारे में संसद् में चर्चा करने की कोई दरकार नहीं है । अतः विरोध पक्ष के सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि राज्यीय विधान-मंडलों की भी अपनी गरिमा है, उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा है, और संविधान के अधीन उनका अपना भी कुछ अस्तित्व है । आपने ठीक ही कहा कि कलकत्ते की स्थिति के बारे में हम विचार नहीं करेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल यह कहने का रिवाज़ सा पड़ गया है कि यह सरकार इस सदन के साथ सौतेली मां के समान व्यवहार करती है । हर बार सरकार पर आरोप लगाया जाता है । विरोधी पक्ष वाले कहते हैं कि राज्य परिषद् ने पूर्वो-

[श्री रघुरामय्या]

दाहरण रख दिया है। किन्तु उन परिस्थितियों के बारे में ध्यान रखना चाहिये जिनमें कि वह घटना हुई है।

कल आपने इस बात का निर्देश किया था कि स्थगन प्रस्ताव की अपेक्षा विरोधी पक्ष नये नियम से भी लाभ उठा सकता था जिसके अनुसार किसी भी मामले को सार्वजनिक महत्व का बता कर आपका ध्यान आकर्षित किया जा सकता था और आप सम्बद्ध मंत्री से परामर्श करते और सब मामले का स्पष्टीकरण हो जाता।

वे ऐसा कुछ तो करते नहीं हैं बल्कि स्थगन प्रस्ताव रखते हैं। उस पर आपने, श्रीमान्, जो निर्णय किया है, वह भी बहुत अच्छा है। सरकार ने उसका पालन किया है इसलिये मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें निन्दा का प्रश्न कहां से उत्पन्न होता है। विरोधी दल को, विशेष कर डा० लंका सुन्दरम को, सरकार की निन्दा करने का इसके अतिरिक्त और कोई भी आधार नहीं मिल सका यह भी इस सरकार के लिये, प्रशंसा की ही बात है। ऐसे निन्दा के प्रस्ताव इस सरकार के ठोस आधार को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं।

सरकार ने जैसा रुख अपनाया था उसको देखते हुये यह नितान्त असंभव था कि सरकार हस्तक्षेप करके कोई बयान देने का प्रस्ताव रखती। ऐसा करने से अध्यक्ष पद का अपमान होता।

विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिये जो हर समय इस सदन की प्रतिष्ठा का राग अलापा करते हैं, कि कल उन में से कुछ ने, 'शर्म, शर्म' की आवाज़ लगा कर, जिस व्यवहार का प्रदर्शन किया था वह इस सदन की प्रतिष्ठा के कहां तक अनुकूल है।

कल के वाद-विवाद तथा उसके बाद की कार्यवाही को देखते हुये, मैं, सरकार पर, इस सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल किसी प्रकार के व्यवहार का आरोप नहीं लगा सकता हूं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, कि इस प्रकार की उलझन से बचने के लिये यह अच्छा होगा कि आप निर्णय देने के पूर्व सरकार से परामर्श कर लिया करें।

श्री एस० एस० मोरे : यह संविधान कांग्रेस सरकार का ही बनाया हुआ है। अनुच्छेद ७५ (३) के अनुसार मंत्रि-परिषद् को लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। संविधान में ही लोक-सभा को उच्चतर स्थान दिया गया है। राज्य-परिषद् तो केवल पुर्नविलोकन के लिये बनाई गई है। इस सबन्ध में जो संविधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है वह यह है कि यदि मंत्रि-परिषद् इस निर्णय पर पहुंची थी कि इस विषय पर वाद-विवाद की आवश्यकता है तो वह वाद-विवाद इस सदन में होना चाहिये था न कि राज्य-परिषद् में। इस सम्बन्ध में प्रथम अधिकार लोक-सभा का था। यदि मंत्रि-परिषद् का विचार था कि कलकत्ते की घटनाओं पर राज्य परिषद् में वाद विवाद का अवसर देना आवश्यक है तो इस प्रकार के वाद-विवाद की, इस सदन में तो और भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि मंत्रि-परिषद जब तक अपना स्पष्टीकरण इस सदन के सामने उपस्थित नहीं करेगी हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेंगे। प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने जवाबदेही करने का उत्तरदायित्व हमारे ही ऊपर है। फिर भी मंत्रि-परिषद ने जो पक्षपात किया है वह इस सदन के पक्ष में नहीं वरन् उस सदन के पक्ष में किया है जिसका स्थान गौण है। इस प्रकार मंत्रि-परिषद ने इस सदन के प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया है तथा इस सदन के अधिकारों की

गंभीर अवहेलना की है । इसलिये यह आव श्यक है कि सदन मंत्रि-परिषद की निन्दा करे।

दो सदन होने पर दोनों में किसी न किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा आरंभ हो ही जाती है। परन्तु ऐसा होने पर इस सदन के अधिकारों को ही उच्चतर स्थान दिया जाना चाहिये। मुझे आपके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है । आपका निर्णय तो बिल्कुल ठीक है । बात तो केवल इतनी है कि मंत्रि-परिषद के लिये उचित यह था कि वे वाद विवाद को स्वीकार करने के बाद भी कह सकते थे कि यह विषय राज्य सरकार के अधीन है इसलिये राज्य परिषद को इस पर वाद विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मान कर कि वे उस सदन में इस विषय पर वाद-विवाद के लिये तैयार हैं, उन्होंने न केवल आपके निर्णय का ही अपमान किया है, वरन् इस सदन के सर्वोच्च विशेषाधिकारों की भी अवहेलना की है । इसलिये इस सरकार की निन्दा करना आवश्यक है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हमें अन्य देशों के संवैधानिक इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह तथ्य है संसद के दोनों सदनों के बीच सरकार द्वारा कुछ भेद भाव किया गया है । यह अवांछनीय है । द्विसदनीय संविधान में दोनों सदनों के मध्य मनोमालिन्य उत्पन्न करना अवांछनीय है। इस का क्या कारण है कि विधि मंत्री जो कि राज्य परिषद् में सदन नेता हैं यह कहते हैं कि सरकार इसके लिये तैयार है परन्तु इस सदन के मंत्री तथ्यों को बताने की उतनी उत्सुकता प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

कलकत्ते में स्थिति बहुत गम्भीर है, वहां रक्तपात हुआ है, सेना बुलानी पड़ी है और कुछ व्यक्ति मारे गये हैं । जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें सरकार से सारी बातें जानने का पूर्ण अधिकार है । सेना बुलाये जाने के क्या कारण थे ? विधि मंत्री ने ठीक ही कहा था कि सरकार राज्य परिषद को अपने विश्वास में लेना चाहती है । परन्तु लोक-सभा के सदस्यों के प्रति यह भेद भाव क्यों किया जा रहा है ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : शायद वहां के सदस्य अधिक जागरूक हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हम भी उतने ही जागरूक हैं परन्तु आप इतने कर्तव्य-परायण नहीं हैं। परन्तु सरकार का व्यवहार बहुत विचित्र है । जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के लिये यही सदन सब से उपयुक्त स्थान था। मैं यह मानता हूं कि कलकत्ता में यदि आपस में कोई समझौता कर लिया गया होता तो इस रक्तपात को रोका जा सकता था। सरकार को सदन को विश्वास में लेने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये था। ऐसा व्यवहार करने के स्थान पर यदि सरकार इस अवसर से लाभ उठाती तो बंगाल का, समस्त भारत का तथा स्वयं सरकार का ही लाभ होता सरकार के इस व्यवहार, इस भेद भाव के प्रति केवल खेद ही प्रकट किया जा सकता है सरकार ने जान बूझ कर यह भेद भाव किया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय कम है । परन्तु इस सदन की मान, प्रतिष्ठा तथा समस्त देश तथा जाति के लाभ के नाते हमें एक स्वर से यह कहना चाहिये हमें सरकार को यह बता देना चाहिये कि आगे फिर कभी ऐसा भेद भाव न किया जाये।

श्री एस० वी रामास्वामी (सलेम) : श्री रघुरामय्या ने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव में कोई सार नहीं है । मैं इससे भी अधिक कहूंगा कि इसमें स्पष्टता की कमी है । मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

इस सदन के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है; और दूसरे सदन पर सब प्रकार से कृपा की जाती है। यदि वह ऐसा समझते हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत नहीं करते हैं ? प्रस्ताव की अन्तिम पंक्तियों में लिखा गया है कि "वे स्वयं इस प्रकार की चर्चा के लिये प्रस्ताव करना नहीं चाहते थे ।" अब यह दोषारोपण किया गया है कि सरकार ने स्वयं स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा है । जैसा कि डा० काटजू ने कहा यह आपके और श्री मुकर्जी के बीच का वाद विवाद है और सरकार को वक्तव्य देने का समय नहीं मिला । यदि डा० लंका सुन्दरम ने वास्तव में ऐसा ही अनुभव किया है कि लोक लेखा समिति और संयुक्त प्रवर समिति के प्रश्न पर सदन पर बहुमत का दबाव डाला गया है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तब उन्होंने मत-विभाजन के लिये कहा था, और क्या उसके पारित होते समय एक भी अंगुली इसके विरुद्ध उठाई गई थी ?

डा० लंका सुन्दरम : मत विभाजन हुआ था और मत लिख लिये गये थे । मुझे २७ मत मिले थे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : जिस ढंग से प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोधी दल के लिये भी कोई लाभ नहीं है । जिन बातों में सरकार ने दोनों सदनों में अन्तर किया है, उन विषयों की सूची तैयार करके रखनी चाहिये थी और तब वाद विवाद की मांग की जानी चाहिये थी । इस प्रकार बिना कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखना उचित नहीं है । अब दोषारोपण यह किया गया है कि सरकार ने इस सदन में इसका वर्णन नहीं किया है । उसके लिये दूसरी प्रक्रिया है । वह सदन की प्रक्रिया के अनुसार वक्तव्य दिये जाने की मांग कर सकते थे और कोई माननीय मंत्री उस मांग की पूर्ति कर सकता था । । संविधान की धारा ७५ (३) के अनुसार वे इस सदन के सन्मुख उत्तरदायी हैं और वे इसे नहीं भूलते हैं । विरोधी दल ने यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था । कल उसका 'शर्म, शर्म' कहते हुये सदन से बाहर निकल जाना बहुत बुरा काम था । उसको प्रक्रिया नियमों का पालन करना चाहिये था । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उस ने इस ढंग से व्यवहार किया है जो इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है । मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे बहुमत से रद्द कर देगा ।

श्री एच० एन० मूकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं सदन के समक्ष रखे गये स्थगन प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कर सकता हूं । कल मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसकी प्रतियां सम्बद्ध मंत्री, सदन के सचिव तथा अध्यक्ष महोदय के पास भेज दी गई थीं । सदन की बैठक से पहले मैं अध्यक्ष महोदय से इसके सम्बन्ध में उनके विचार जानने के लिये मिला था । इस सदन के सदस्य होने के अधिकार का उपयोग करते हुये मैं ने स्थगन प्रस्ताव रखा था । मैं घबराता था कि कहीं स्थगन प्रस्ताव को अनियमित न घोषित कर दिया जाय, परन्तु इस मामले की ओर सदन और देश का ध्यान आकर्षित करने का केवल यही शीघ्रकारी उपाय था, मैं दोनों सदनों के बीच अन्तर पैदा करना नहीं चाहता था, और यह भी नहीं कहता कि सरकार ने एक सदन के पक्ष में निर्णय दिया है । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस सदन द्वारा और देश द्वारा जो उत्सुकता प्रकट की गई थी, सरकार उसके विषय में अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती

है। साधारणतया ऐसा होता है कि स्थगन प्रस्ताव के रखे जाने पर सभापति महोदय सरकार से उसके सम्बन्ध में यदि उसको उस मामले में कुछ कहना होता है तो कुछ कहने के लिये कहते हैं। इस मामले में सरकार को बहुत कुछ कहना चाहिये था, परन्तु उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। आपके साथ बातचीत करके मैं यह जानना चाहता था कि क्या नियमों के परिस्थिति अनुकूल निर्वाचन करने के लिये आप सहमत थे या नहीं, परन्तु सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। हमें उस समय यह पता भी नहीं था कि सरकार ने उस सदन में एक वक्तव्य देने और वाद विवाद करना स्वीकार कर लिया है। इससे यह प्रकट होता है कि सरकार वाद विवाद के लिये तैयार थी। यदि उसी प्रकार का कोई सुझाव सरकार की ओर से रखा जाता तो संभवतः आप उस प्रस्ताव पर वाद विवाद की स्वीकृति दे देते। सरकार ने इस पूर्णतया अ-उत्तरदायी ढंग से व्यवहार किया है, और यह पहला ही अवसर नहीं है। कलकत्ता में हुये गोलीकांड के विषय में सदन में अल्प वाद-विवाद के लिये सरकार ने बहुत कठिनता से स्वीकृति दी थी। इससे प्रकट होता है कि सरकार जनता और देश की कठिनाइयों और आवश्यकताओं के प्रति अ-उत्तरदायी तथा निष्क्रम है।

मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि मेरा व्यवहार सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। आपने स्वयं निर्णय दिया था, और जब श्री अलगूराय शास्त्री ने औचित्य प्रश्न उठाया था और कहा था कि मैं ने पूर्णतया नियम विरुद्ध कहा था, तो आपने कहा था कि मुझे वह कहने का अधिकार था। दुर्भाग्यवश आपने अपना मत नहीं बदला। आपके निर्णय देने के पश्चात् हम सदन से बाहर चले गये। मैं समझता हूं कि हमें इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुसार व्यवहार करना आता है और हमने सदैव अपने व्यवहार से अध्यक्ष-पद का आदर किया है। कल आपके निर्णय देने के पश्चात् हम आगे की कार्यवाही पर अपने आपको केन्द्रित नहीं कर सकते थे, इसलिये हम सदन छोड़ कर बाहर चले गये थे, जो पूर्णतया संसदीय प्रक्रिया के अनुसार है। यदि सदन नेता अथवा कोई अन्य व्यक्ति यह कहता है कि हमारा व्यवहार सदन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था तो आपको नियमानुसार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। परन्तु मैं उन सब लोगों की बात को गलत समझता हूं जो ऐसा कहते हैं कि हमारा कल का व्यवहार ठीक नहीं था। इसके विपरीत मैं कहूंगा कि सरकार का व्यवहार उत्तरदायित्व-विहीन है, और वह जनता को परेशान करने वाले मामले की ओर ध्यान नहीं देती है। इसीलिये मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को पारित किया जाय, क्योंकि इसी ढंग से सरकार के इस अपकृत्य की निन्दा की जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने बंगाल की जनता की आवाज की ओर, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान नहीं दिया है।

जब हम रोष में होते हैं, तो हमारा व्यवहार बहुत संतुलित नहीं हो सकता है। इसीलिये मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं कुछ संयम के साथ बोलूंगा। मेरे अथवा सरकार के विरुद्ध भेदभाव करने और इस सदन की अवहेलना करने के जो अन्य आरोप लगाये गये हैं, मैं उन का पूर्ण रूपेण खण्डन करता हूं, और आरम्भ में ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से इस सदन की मान मर्यादा मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी कि विरोधी दल के किसी

[डा० काटजू]

सदस्य के लिये हो सकती है। मैं अतिशयोक्ति-पूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस सदन की मान मर्यादा के विरुद्ध कोई भी काम करने से पूर्व मैं अपने हाथ काट दूंगा, क्योंकि यह भारत की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न संसद् है। यदि कल मुझे इस बात का भान होता कि मैं ने कोई ग़लती की है, तो मैं क्षमा याचना करने और उस के लिये खेद प्रदर्शित करने वाला, सर्वप्रथम व्यक्ति होता।

मैं ने इस विषय पर बार बार सोचा है। हुआ क्या है ? पहले मैं आप को यह बता दूं कि दूसरे सदन में वास्तव में हुआ क्या, ताकि यदि कोई अस्पष्टता हो, तो वह दूर हो जाये। दूसरे सदन में नियमों के अधीन कुछ आधारों पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में एक प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पत्रों सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी एक प्रक्रिया है। चर्चा के लिये भी एक प्रक्रिया है—मुझे पता नहीं कि उन के यहां कोई नियम है या नहीं, परन्तु वहां यह प्रथा है। सामान्य हित के किसी भी विषय पर, बिना किसी प्रस्ताव, मतदान या किसी भी चीज के, सभापति चर्चा किये जाने की अनुमति दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रक्रिया इस सदन में भी है। इस सदन के लिये भी यही नियम हैं।

डा० काटजू : पता नहीं कि हमारे यहां की तरह राज्य परिषद में कोई नियम हैं या नहीं। उदाहरणार्थ यहां पर हम ने अध्यादेशों के सम्बन्ध में एक सामान्य चर्चा की थी।

सदन में आने से पूर्व कल डेढ़ बजे मुझे पत्रों सम्बन्धी एक प्रस्ताव की प्रति दिखाई गई थी। स्थगन प्रस्ताव पर मतदान होता है। हम सब इस प्रक्रिया से परिचित हैं। सचिव मेरे घर आये, उन्होंने मुझे वह दिखाया और मेरा विचार पूछा। मैं ने कहा कि यदि नियम इस की अनुमति देते हैं और यदि सभापति महोदय इस को मंजूर करते हैं, तो मामला समाप्त हो जायेगा। मैं उस सदन में बिल्कुल नहीं गया। मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने राज्य परिषद की कार्यवाही के सुसंगत अंश आप को पढ़ कर सुनाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य परिषद् के सभापति ने पत्रों सम्बन्धी प्रस्ताव को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था :

"इस मामले पर सामान्य मत को दृष्टि में रखते हुए और सदन नेता तथा डा० काटजू (मैं बता चुका हूं कि मेरा क्या हाथ था) के परामर्श से एक विशेष मामले के रूप में मैं इस मामले पर कल ६ म० प० एक चर्चा करने की अनुमति देता हूं।"

इस में पत्रों सम्बन्धी किसी प्रस्ताव या किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है—केवल एक सामान्य चर्चा की बात है, जिस की आप नये नियमों के अधीन "सामान्य लोक हित अथवा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले" के सम्बन्ध में अनुमति दे सकते हैं। जब आप इस सामान्य चर्चा की अनुमति देते हैं, जैसा कि दो दिन पूर्व हम अध्यादेशों के सम्बन्ध में दे चुके हैं, तो जैसा कि स्वयं आप ने कहा, निन्दा या मतदान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब मैं यहां बैठा था तो मुझे इस बात का पता नहीं था कि राज्य परिषद में वास्तव में क्या हो चुका था।

संभव है यह मेरी ग़लती हो, परन्तु जब कल इस प्रस्ताव को उठाया गया था, तो आप ने इस की ओर कोई ध्यान ही नहीं

दिया था। मैं आप के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं और न मैं आप को इस चर्चा में घसीटना चाहता हूं। आप ने तत्काल ही कहा कि आप के विचार से यह प्रस्ताव पूर्णरूपेण नियम विपरीत था। आप ने कहा कि इस विषय पर चर्चा आरम्भ करने के अन्य तरीके हैं--एक अल्प सूचना प्रश्न द्वारा या एक सामान्य चर्चा के द्वारा। एक स्थगन प्रस्ताव का कुछ प्रविधिक महत्व होता है--उस से पूरे दो घंटे की एक चर्चा आरम्भ होती है, सदन में मत विभाजन होता है और मत लिये जाते हैं। आप ने कहा था कि अनेक कारणों से वह नियम विपरीत था। अपने प्रारंभिक विचार प्रकट करने के बाद आप ने मेरे माननीय मित्र से पूछा था कि उस प्रस्ताव के समर्थन में क्या उन्हें क्या कुछ कहना था। मैं हस्तक्षेप करने वाला कौन था? मैं ने यह सोचा कि उस समय उठ कर यह कहना अवज्ञापूर्ण होगा कि "नहीं, नहीं, श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र एक सामान्य चर्चा आरंभ कर सकते हैं," आदि। उन्हों ने आप के प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं उन के शब्दों या व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। उस की चर्चा करना मेरा कार्य नहीं है। चर्चा ज़ारी रही। मैं समझता हूं कि वह पांच या दस मिनट तक बोले। आप ने उन की बात को पूरी तौर से सुना और अपना निर्णय दिया। मेरा उस से क्या सम्बन्ध था? आप ने मेरे माननीय मित्र को बताया कि इस मामले पर चर्चा आरम्भ करने के अन्य तरीके थे। परन्तु उन्हों ने उस से लाभ नहीं उठाया। मेरे मित्र नाराज़ हो गये--मैं इस शब्द को वापस लेता हूं--यूं कहिये कि वह किसी प्रकार के स्नेह भाव से प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि वह इस सदन में नहीं ठहर सकते और वे उठ कर चले गये। पता नहीं कि उन्होंने जो नारे लगाये वे या मेरा व्यवहार इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल था। हम यहां पर औपचारिक कार्यवाही कर रहे हैं। मान लीजिये कि आप ने स्थगन प्रस्ताव को नियम विपरीत घोषित कर दिया होता। मेरे माननीय मित्र सहज ही यह कह सकते थे--"क्या आप हमें एक सामान्य चर्चा की अनुमति देंगे, अध्यादेशों पर हुई चर्चा के समान?" यदि उस समय मैं ने यह कहा होता: "नहीं, नहीं, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते" तो आप मुझ को दोष दे सकते थे; आप सरकार पर दोष लगा सकते थे।

जहां तक कलकत्ते की घटनाओं का सम्बन्ध है, मुझे शायद उन से भी अधिक दुःख है। इस मामले पर मैं भावुकता की भावना से बोल रहा हूं। मैं ने अपने जीवन के तीन वर्ष वहां बिताये हैं। इस से राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना तो बहुत अच्छा है, परन्तु मेरा उस से क्या सम्बन्ध? यहां पर यह प्रस्ताव है। मेरे विरुद्ध क्या आरोप है? आरोप यह है कि:

> "राज्य परिषद में कलकत्ते की गंभीर घटनाओं पर चर्चा के लिये तैयार हो जाने के बाद, जबकि इस विषय पर उन्हें इस सदन की भावनायें ज्ञात थीं; उन्होंने इस प्रकार की एक चर्चा के लिये स्वयं कोई प्रस्ताव रखने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।"

यही वह प्रस्ताव है, जिस पर आज सदन चर्चा कर रहा है। इस सम्बन्ध में हमें सारी बातें बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहियें। जब कि कल उन का प्रस्ताव बिलकुल नियम विपरीत था और आप का निर्णय बिलकुल सही था, यह कहा जाता है कि विरोधी पक्ष की कटु एवं रोषपूर्ण भावनाओं का अनुभव करते हुए, स्वयं मुझे खड़े हो कर यह कहना चाहिये था: "अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे इस विषय पर चर्चा

[डा० काटजू]

करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ?" मैं इस के प्रविधिक पहलू में नहीं जाना चाहता हूं। वह एक अभूतपूर्व प्रस्ताव होता और मैं ने अपने जीवन में ऐसे किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में नहीं सुना है। यह रही 'मे' की "पार्लिया-मेंटरी प्रेक्टिस"। मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी एक बड़े वकील हैं—मुझ से बहुत बड़े। वह मुझे अपने पक्ष में एक भी पूर्वदृष्टान्त ढूंढ कर दिखायें तो मैं जानूं। मैं इस मामले में और अधिक नहीं जाना चाहता हूं। साढ़े पांच बज गये हैं। मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य और दुःख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण —जो कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है— सम्बन्धी चर्चा के बीच ऐसे मामलों को ले कर, जोकि अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं, इस प्रकार से बाधा डाली गई है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं प्रस्ताव को सदन के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"अब सदन स्थगित हो।"

सदन में मत विभाजन हुआ। हां ६६; नहीं २५९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी स्ताव—जारी

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : यह बात अब एक प्रमाणित तथ्य है कि भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी हमारे संकटों से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करती है। मदुरा तथा कलकत्ता की घटनाओं से उन के भावी इरादों का पता चलता है। इस से भी बुरी बात यह है कि ये सब कार्यवाहियां एक विदेशी सत्ता की उत्तजता पर की जाती हैं। उस के राजनैतिक सिद्धान्त प्रजातंत्र के अनुकल नहीं हैं तथा वे इस तथ्य को जानते हैं कि संसदीय तरीकों से वे अपने प्रयोजन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन के द्वारा हिंसात्मक कार्यों को—जिन में कितनी ही निर्दोष जानें जाती हैं—उत्तेजना दिये जाने से आज देश में इस पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जा रही है। इस पार्टी के कुछेक सदस्य संसद् को छोड़ कर अपना सारा समय और शक्ति विध्वंसकारी कार्यों में लगाना चाहते हैं। साथ ही जाते जाते वे अध्यक्ष तथा इस सदन और इस प्रकार से सारे देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को नीचा दिखाना चाहते हैं। अध्यक्ष के प्रति उन का व्यवहार किसी जंगली देश की अपेक्षा भी बुरा है। उन का कथन उन के वास्तविक अभिप्राय से विपरीत हुआ करता है। श्री एच० एन० मुकर्जी का गालियां देने में सब से बढ़ चढ़ कर भाग होता है। जब कभी भी वे शान्ति की बातें करते हैं तो उन का अभिप्राय विश्वयुद्ध से होता है। वास्तव में अमेरिका-पाकिस्तान गठजोड़ से उन्हें बड़ी प्रसन्नता है। हम उन के मगरमछ के से टसुओं की परवाह नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि इसी पार्टी के सदस्यों ने कलकत्ता में हिंसात्मक घटनायें करने की उत्तेजना फैलाई हैं तथा हत्याएं कराई हैं। अब यही लोग सदन में आ कर जनता और लोगों के नाम से बोलने का साहस करते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बोलते समय किसी पार्टी के किसी घटना में भाग लेने के बारे में सदन के सदस्यों का निर्देश न करें। जो सदस्य सदन में बोलते हैं, हत्यायें उन्हों ने नहीं की हैं। हत्यारे दूसरे ही हैं।

डा० एस० एन० सिंह : मेरा अभिप्राय उसी पार्टी के सदस्यों से है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य के लिये यह कहना आवश्यक नहीं है कि जो लोग बाहर हिंसात्मक कार्य करने की उत्तेजना देते हैं, वही सदन में आ कर जनता के नाम से बोलते हैं ।

डा० एस० एन० सिंह : आप इन शब्दों को ऐसे ले लें कि "हत्या करने वालों का सम्बन्ध उसी दल से है ।"

डा० रामा राव (काकिनाडा): माननीय सदस्य ने एक ऐसे दल के विषय में मानहानिकारक वक्तव्य दिया है जिस के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है । किसी माननीय सदस्य को मानहानिकारक वक्तव्य देने के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता है, परन्तु काफ़ी प्रमाण के बिना ऐसे वक्तव्य देना उचित नहीं है, विशेषत: इस विचार से भी कि सदन में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं ।

डा० एस० एन० सिंह : मेरे पास निश्चित प्रकार के प्रलेख हैं । ये केवल कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को ही भेजे गये थे । सम्भवत: मैं उन्हें पढ़ कर सुनाऊंगा ।

श्री आर० एन० रेड्डी (नलगोंडा) : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में, वह सर्वथा झूठ कह रहे हैं ।

डा० रामा राव : वह कम्यूनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में एक मानहानिकारक वक्तव्य दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं माननीय सदस्य कृपया सहनशक्ति से काम लें । इस सदन में दोनों पक्ष उपस्थित हैं, अतएव आलोचना करने के लिये ही नहीं, आलोचना सुनने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

जहां तक किसी पत्र विशेष का सम्बन्ध है, बार बार यह रट लगाने से कुछ लाभ नहीं कि यह जाली है । हमारे देश का प्रशासन प्रजातंत्रीय आधार पर है जिस में बहुसंख्या को अल्पसंख्या बनाया जा सकता है । अतएव बार बार अन्तर्बाधा डालने का परिणाम यही होगा कि मैं माननीय सदस्य को बोलने के लिये उतना ही अधिक समय देता जाऊंगा । मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष शिष्ट व्यवहार का अनुसरण करें तथा एक दूसरे के भाषण में अन्तर्बाधा न डालें । अशिष्ट भाषा तथा नितान्तत: मानहानिकारक मामलों को मेरे ध्यान में लाया जा सकता है तथा मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करूंगा ।

डा० एस० एन० सिंह : मेरे पास यहां एक प्रलेख है जिस में इस पार्टी की कार्य संचालन पद्धति का वर्णन है । ये अनुदेश कम्युनिस्टों के मदुराई सम्मेलन से थोड़ा समय पहले मास्को से प्राप्त हुए थे ।

डा० रामा राव : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह कैसे संगत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नितान्त रूप से संगत है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं । वह यह कहना चाहते हैं कि देश में समाजविरोधी लोग हैं । इन लोगों का दबाया जाना ज़रूरी है । यथार्थ में उन का अभिप्राय यही है ।

डा० एस० एन० सिंह : मैं अपने उत्तरदायित्व को समझता हूं तथा जानता हूं कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहा हूं । राष्ट्रपति ने हमें ठीक ही एक बड़े खतरे से अर्थात् देश को कम्यूनिस्टों के खतरे से बचाने की चेतावनी दी है । मेरे भाषण का सम्बन्ध इसी बात से है ।

मैं जो दो प्रलेख सदन पटल पर रख रहा हूं, उन में साम्यवादियों ने स्पष्ट रूप से

[डा० एस० एन० सिंह]

कहा है कि : ये उद्देश्य केवल क्रान्ति द्वारा और वर्तमान भारतीय राज्य का तख्ता उलटने से ही प्राप्त किया जा सकता है । गोरिल्ला लड़ाई हमारे युद्ध का एक पहलू है । विजय पाने के लिये यह आवश्यक है कि अन्य तरीकों का भी प्रयोग किया जाये और वे तरीके हैं : श्रमिक वर्ग की हड़ताल, आम हड़ताल और श्रमिक वर्ग के सशस्त्र दस्तों के नेतृत्व में नगरों में विद्रोह । कलकत्ता में यही कुछ हो रहा है ।

मदुरा में जो सम्मेलन हुआ है, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस अवस्था पर चालें बदल दी गई हैं । साम्यवादी अब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि पश्चिमी शक्तियों को अपनी सेनायें एशियाई देशों की ओर लगाने के लिये बाध्य किया जाये । इसी बात से हमारे लिये खतरा पैदा होता है रूस यह कोशिश करता रहा है कि पश्चिमी देश अपनी सेनाएं पश्चिमी यूरोप से हटा कर ऐशियाई देशों में ले आयें । इस के प्रमाण के रूप में मेरे पास मास्को में प्रकाशित एक प्रलेख है, जिसे मै सदन पटल पर रखता हूं यह साम्यवादियों के इस दावे के बारे में है कि अमेरिका वाले गिल्गित में सैनिक अड्डा बना रहे हैं । हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने इसका खंडन किया है । यदि यह सत्य होता कि १९५१ में एक अड्डा बनाया जाना है तो वह अब तक कभी का बन चुका होता । यह केवल पश्चिमी यूरोप की सेनायें एशियाई देशों की ओर ले जाने के लिये रूस की एक चाल थी ।

उत्तर पूर्व के देशों में जो कुछ हो रहा है उस के बारे में हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है । इस सम्बन्ध में मद्रास विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर ने हाल में लिखा है कि सिक्किम भूटान और दारजिलिंग में साम्यवादियों का दबाव बढ़ रहा है और चीनी लासा से भारत के सीमान्त और सिक्किम तक सामरिक महत्व वाली एक सड़क बना रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि वे रूसी विशेषज्ञों की सहायता से तिब्बत में भी कई हवाई अड्डे बना रहे हैं । भारतीय राजनीतिज्ञों ने सरकारी तौर पर यह माना है कि सारे भारतीय सीमान्त पर चीनी सैनिक दस्ते उपस्थित हैं ।

यदि उत्तर-पश्चिमी अड्डा हमारे देश के लिये खतरनाक है तो उत्तर-पूर्वी अड्डे भी उतने ही खतरनाक हैं । अमेरिकनों का यह कहना है कि चूंकि चीनी उत्तर पूर्व में अड्डा बना रहे हैं, इस लिए उन के लिये गिल्गित में एक अड्डा बनाना आवश्यक है । किन्तु सामरिक दृष्टि से यह सही नहीं है, क्योंकि सैनिक लक्ष्य तो कोई दिखाई नहीं देते । अमेरिकन किन स्थानों पर अपने बम फेंकेंगे और चीनियों के लिये भी अपने उत्तर-पूर्वी अड्डे से बम बरसाने के लिये कोई निशाना नहीं है । अतः जब तक वे हमारे देश में से न गुजरें, वे पश्चिमी सेनाओं पर आक्रमण नहीं कर सकते । और हम यह कभी नहीं होने देंगे । हम अपनी तटस्थता बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयत्न करेंगे ।

इस अवस्था में, साम्यवादी दल का कार्य, चीनियों को सिक्किम और कलकत्ता की ओर बढ़ने में सहायता देना है । यदि कलकत्ता में उन का अड्डा बन गया, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी ।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अमेरिका-पाकिस्तान संधि हो भी गई, तब भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । मान लीजिये कि पाकिस्तान के पास १३ डिविज़न होंगे, परन्तु ये लड़ेंगे कहां ? इन के

लिए कोई निशाना नहीं है । विमान भी हिमालय को पार कर के नहीं जा सकते ।

यदि इस समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया तो हमें यह देखना है कि सामरिक महत्व, जनशक्ति तथा अस्त्र-शस्त्रों की दृष्टि से हमारी स्थिति क्या है । यदि हम इन बातों पर उचित रूप से विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी सेना पश्चिमी तथा पूर्वी देशों की सेनाओं का मुकाबला कर सकती है । इस में कोई सन्देह इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि जनता में इस समय अतुल उत्साह है ।

साम्यवादी यह चाहते हैं कि हम अमेरिका के विरुद्ध प्रचार कार्य करें । वे इस स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं । साम्यवादी खतरे को हम जितना दूर रखेंगे उतना ही हम अपनी रक्षा व्यवस्था को दृढ़ बना सकेंगे । हमारे देश के साम्यवादी दूसरे देशों के राजदूतों से निकट सम्पर्क रखते हैं । ऐसा अन्य देशों में नहीं देखा गया । किन्तु हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में प्रजातंत्र तथा सहिष्णुता की भावना अधिक है । किन्तु हमें इतना शक्तिशाली होना चाहिये कि इस प्रकार हमारी सहिष्णुता हमें कमजोर न बना दे । हमें अपने देश के हर भाग और हर कोने की रक्षा करनी है । हमें साम्यवादी दल से इस लिये मोर्चा लेना है क्योंकि यह दल अभी तक विदेशी शक्ति की कठपुतली है । देश की जनता साम्यवादियों से घृणा करती है और यदि इन का यही रवैय्या रहा तो इन की सब जगह हार होगी । हमें इस बात में सतर्क रहना चाहिये कि साम्यवादी कहीं गड़बड़ी न पैदा कर सकें और हमें अपने शान्ति स्थापन के लक्ष्य को प्राप्त करने में संयुक्त रूप से अपनी पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिये ।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह पता लगता है कि हमारे देश के सामने जो खतरे, कठिनाइयां तथा गम्भीर समस्यायें हैं, सरकार उन के प्रति जागरूक है । किन्तु हम समझते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है । यदि कुम्भ मेले के अवसर पर सरकार ने सुव्यवस्थित प्रबन्ध किया होता और समय पर उचित कार्यवाही की होती तो यह महान् दुर्घटना नहीं होती । यह बड़ी खेदजनक बात है कि हमारे बड़े नेता भी महात्मा गांधी की भावनाओं को भूल रहे हैं । गान्धी जी में अपनी बड़ी से बड़ी ग़लती को भी स्वीकार करने का साहस था । किन्तु हमारी सरकार अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं है । कुम्भ दुर्घटना के समय सरकार राष्ट्रपति के सम्मान में किये जाने वाले सहभोज को स्थगित कर सकती थी । देश की अन्य गम्भीर समस्याओं के मामले में भी सरकार का यही उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राज्यों के पुनर्संगठन के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया ; किन्तु क्या सरकार ने इस प्रश्न पर उचित रूप से विचार किया है । इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता ही नहीं थी जो इस प्रश्न पर विचार करे कि भारत का नक्शा कैसा हो । भाषा-वार राज्य बनाये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं विस्तृत रुप-रेखा निर्धारित कर सकती थी और इस विशेष प्रश्न के लिये सीमा आयोग नियुक्त कर सकती थी । किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई उचित कार्य नहीं किया और इस के परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न राज्यों में कटु भावना बढ़ रही है ।

अब मैं बिहार के विवादग्रस्त क्षेत्रों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता

[श्री आर० एन० एस० देव]

हूं। वहां ७ फरवरी को सरायकेला में जो सभा हुई थी उस में बहुत दंगेबाज़ी हुई। मैं उस में उपस्थित था। वहां ऐसा कई स्थानों पर हुआ है। बिहार सरकार के अधिकारी सिंहभूम, सराय केला, खर्सवान, मानभूम तथा बंगाली बोलने वाले अन्य क्षेत्रों में बंगाली भाषा बोलने वाले अल्प संख्यकों का दमन करने का सुयोजित प्रयत्न करते हैं। इस आयोग के नियुक्त किये जाने के बाद ऐसी बातें अधिक होने लगी हैं। मैं इस खेदजनक स्थिति के लिये केन्द्र को उत्तरदायी मानता हूं, क्योंकि हम ने इन बातों की ओर केन्द्रीय सरकार तथा मंत्रियों का ध्यान बारबार दिलाया, किन्तु इस का कुछ परिणाम नहीं निकला।

यदि विचारवान् तथा सज्जन व्यक्तियों को उन वास्तविक बातों का पता लगे, जोकि वहां के अधिकारियों की जानकारी में हो रही हैं तो वे भी उन बातों की निन्दा करेंगे। ७ फरवरी को सरायकेला में हम ने एक सभा आयोजित की। बिहार के मुख्य मंत्री ने इस बात को माना है कि उन को भी इस बात की आशंका थी कि वहां दंगा हो सकता है। उन्हों ने वहां मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जाने के लिये कहा। पुलिस ने सभा में बैठे हुए नौ आदमियों से छड़ियां भी ले ली थीं, फिर भी लोग कहीं से लाठियां ले आये। उड़ीसा विधान सभा के विरोधी दल के उपनेता श्री प्रताप केसरी देव के सिर और हाथ में चोटें आईं। लाठियों से लोगों के सिर तथा हाथ-पैर तोड़ डाले गये। क्या संविधान के अन्तर्गत बिहार के अल्प संख्यक भाषा भाषियों को इस प्रकार का वाक्-स्वातंत्र्य मिलेगा? वहां पुलिस ने शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये कुछ नहीं किया। मेरे पास उस घटना स्थल के फोटो हैं जन्हें मैं सदन पटल पर रखने के लिये तय्यार हूं। जमशेदपुर आदि दूसरे स्थानों से लोगों को एक ट्रक में लाया गया था और इन्होंने उस सभा में गड़बड़ी पैदा की। हमें काले झण्डे भी दिखाये गये। यह कोई नई घटना नहीं थी। १५ दिसम्बर, १९५३ को भी ऐसा ही हुआ था और हमें यहां तार मिले थे। उस समय संसद् का सत्र हो रहा था। हम ने यह बात प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को बताई थी। समाचारपत्रों में भी इस विषय के समाचार प्रकाशित हुए थे। उस सभा का सभापति होने के नाते मैं लोगों को यह बता रहा था कि आयोग के समक्ष उन्हें अपने दावे किस प्रकार रखने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का कार्य है। इस मामले में मतभेद हो सकता है और बहुत से कटाक्ष इस सम्बन्ध में किये जा चुके हैं तथा इस से अधिक यहां विवाद करना उचित नहीं। इन सब बातों पर सविस्तार विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन का खंडन नहीं हो सकता।

श्री आर० एन० एस० देव : यह कोई नई चीज नहीं है। ऐसा अन्य भी कई बार हो चुका है। १९४९ में सराईकेला के लोगों पर जब आतंक का राज्य छाया हुआ था तो मुझे बिहार से तार नहीं करने दिया गया था। जो मैंने एक व्यक्ति को भेज कर बंगाल से करवाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अलग अलग राज्य सरकारें हैं। यदि एक राज्य से कोई कार्य नहीं होता है तो अन्य सरकार की सहायता ली जा सकती है। केन्द्रीय सरकार को इस से कोई मतलब नहीं जब तक कि कोई आकस्मिक संकट न हो। यहां एकात्मक शासन नहीं है जिस में सभी राज्य केन्द्र के अधीन

होते हैं। राज्यों में विधान सभाएं हैं जो अपने यहां के झगड़ों का निपटारा कर सकती हैं। मैं यथासम्भव ऐसी परिस्थिति में संघर्ष को बचाने तथा राज्य सरकारों पर कोई आक्षेप न किये जायें इस का प्रयत्न करूंगा। राज्यों की विधान सभायें यदि उचित समझेंगी तो केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रपति से उचित परामर्श किसी भी मामले में ले लेंगी।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं ने केन्द्रीय सरकार से इस की जांच करने के लिये कह दिया है। क्या बिहार की सरकार ऐसी जांच पड़ताल को स्वीकार करने के लिये तैयार है ? अल्पमत के लोगों को अपना साधारण जीवन व्यतीत करना तक असम्भव हो रहा है। ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

१९४९ में बिहार में छा रहे आतंक के बारे में तार भेजना तक असम्भव था यद्यपि यह विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन है। केन्द्र को यह सब बताए जाने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया था। मैं राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा भारत के गृह मंत्री को तार भेजना चाहता था। जो यह कह कर अस्वीकार कर दिये गये थे कि लाइन ठीक नहीं है। अतः दूसरे दिन ये तार भेजे जा सके। १५ दिसम्बर को फिर उसी की पुनरावृत्ति की गई और मामले पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया था। केन्द्र को इन सब बातों की जानकारी थी किन्तु केवल जानकारी ही पर्याप्त नहीं। आज मानभूमि अथवा सिंहभूमि में जो कुछ हो रहा है इस से देश में कटुता एवं अशान्ति के बीज बोये जा रहे हैं। इन का निबटारा या तो गृह-युद्ध के द्वारा होगा या केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में जरा सख्ती से कार्य करे तभी हो सकेगा। केन्द्र पर मैं इस सम्बन्ध में उपेक्षा का आरोप लगाता हूं।

गृह मंत्री का कथन है कि भाग क राज्य होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में क्या इस का निर्णय गृह-युद्ध से होगा ? यह तो देश में आतंकवाद को निमंत्रण देना है। अतः केन्द्र को सख्ती से काम लेने की आवश्यकता है। यदि केन्द्रीय सरकार उचित समय पर कार्यवाही करती है तो देश में और अधिक अशान्ति उत्पन्न नहीं हो सकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप) : नई सदस्या होने की हैसियत से मुझे भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। आज चारों ओर तनाव और सिद्धान्तों, हितों, संस्कृतियों आदि में संघर्ष चल रहा है किन्तु भारत ने संसार का नेतृत्व संभाला है। भारत का मार्ग अहिंसा का मार्ग है अतः उसे अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। एक ओर हजारों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से आये और दूसरी ओर बंगाल से गये हुए शरणार्थी वापस लौट आये। उन की भूमियों आदि पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है और वे इधर-उधर मारे-मारे घूम रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया है कि विस्थापित व्यक्तियों की गृह-व्यवस्था के लिये ७२ करोड़ रुपयों की राशि अनुदान रूप में दी गई है। क्या यह मशीनरी शीघ्र कार्य नहीं कर सकती कि जिस से उन की गृह-समस्या शीघ्र ही हल हो जाये। पिछली बार राशि का उपयोग इस कार्य में नहीं किया जा सका था। इस बार सामूहिक राशि का अनुदान मिल गया है अतः इस को तत्काल ही वितरित कर दिया जाना चाहिये।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक रोजगार दिलाने की ओर भी राष्ट्रपति ने निर्देश किया है। बहुत से कार्यों में लोगों को लगाया जा सकता है। आज भारत में

[श्रीमती इलापाल चोधरी]

अध्यापकों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। देश की भावी पीढ़ी के निर्माता अध्यापक हैं अतः उन की ओर यदि आज ध्यान न दिया गया तो कल दिया जाना निश्चित है। संस्कृत के अध्यापकों की दशा तो और भी दयनीय है। उन्हें बहुत थोड़ी आय में गुज़र करनी पड़ रही है। मिथिला तथा नवद्वीप में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान् मौजूद हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रकांड पंडित हैं। यह दोनों स्थान हिन्दू धर्म शास्त्र तथा तत्वज्ञान के केन्द्र हैं। यदि यहां एक विश्वविद्यालय का आयोजन किया जाय तो कुछ बहुत खर्च नहीं आएगा, क्योंकि इस के लिये बड़े बड़े भवनों तथा अत्यधिक सामान की आवश्यकता नहीं होगी।

गांवों में बेकारी को दूर करने के लिये कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिये। यह बेकारी विशेषकर विस्थापित व्यक्तियों में पाई जाती है, जिन की दशा बहुत चिन्ता-जनक हो रही है। न केवल पुरुषों को ही काम मिलना चाहिये वरन् वयस्क स्त्रियों को भी, क्योंकि यदि ऐसा किया जाय तो प्रति व्यक्ति आय थोड़ी होने पर भी संयुक्त आय से परिवार का गुज़ारा चल सकेगा।

भारतीय संस्कृति का वैदेशिक प्रचार भी अधिक अच्छे ढंग से होना चाहिए। भारत से बाहर विदेशों को जो शिष्टमंडल जाते हैं उन में ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जो भारत की विचारधारा और उस की संस्कृति की व्याख्या वहां उचित रीति से कर सकें। सांस्कृतिक मेलजोल का महत्व राजनैतिक मेलजोल से किसी प्रकार भी कम नहीं है।

मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान सड़क निर्माण कार्य की ओर भी दिलाना चाहती हूं। सहायतार्थ परीक्षण-कार्य के रूप में जो सड़कें बनवाई जाती हैं वह कुछ सन्तोषजनक नहीं होतीं और उन में धन और श्रम का अपव्यय होता है। ऐसी कुछ सड़कें पश्चिमी बंगाल में बनाई गई हैं। यह काम अधिक स्थायी प्रकार का होना चाहिए। इस के अतिरिक्त राज-पथों के दोनों ओर सुन्दर फूलों वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए। इस से कितने ही लोगों को काम मिल सकेगा और देश की सुन्दरता में भी वृद्धि होगी जिस का प्रभाव देशवासियों के अतिरिक्त विदेशियों पर भी होगा। हमारे देश में इस प्रकार के सुन्दर वृक्षों की कुछ कमी नहीं है।

मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नगरों तथा गांवों के लिए चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में गांवों की दशा को देख कर तो बहुत दुख होता है। सामाजिक कल्याण बोर्ड के पास चार करोड़ रुपये के लगभग राशि मौजद है। इस का कुछ भाग गांवों के लोगों के हितार्थ खर्च किया जा सकता है।

खाद्य समस्या के बारे में हमें बताया गया है कि अब यह समस्या बहुत कुछ हल हो चुकी है। यह अच्छी बात है, किन्तु अभी तक कई एक स्थानों में राशन पद्धति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह कठिनाइयां अधिक परस्पर सहयोग से दूर की जा सकती हैं। इस विषय में हम रूस, चीन, अमेरिका आदि अन्य देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : श्रीमान् मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द बोलने का इच्छुक हूं। यह संशोधन पाकिस्तान और अमेरिका के प्रस्तावित सैनिक गठबन्धन से संबंधित है। समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार पढ़ कर मैं आश्चर्य चकित हो गया था।

वस्तुतः यह विस्मय की बात है कि अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिये विख्यात व्यक्तियों ने इस प्रकार की घातक और ध्वंसकारी नीति का सहारा लिया हो। यह बड़े अचम्भे की बात है कि पाकिस्तान के अधिकारी इस प्रकार के गठबन्धन के परिणाम को भुला बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पहले पहल व्यापार के रूप में यहां आ कर अपने आप को एक शक्तिशाली सबल साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में बदल दिया और इस उप-महाद्वीप पर शासन करना आरम्भ कर दिया। जैसा श्री पाटस्कर ने उस दिन कहा था प्रस्तावित सैनिक गठबन्धन से पाकिस्तान समाप्त हो जायगा और अविभाजित भारत के सम्पूर्ण नागरिकों द्वारा अर्जित स्वतंत्रता उन से छिन जायगी। यह समझने में अधिक दूरदर्शिता की आवश्यकता नहीं है कि पश्चिमी शक्तियों को अवसर मिलते ही वे इस का क्या लाभ उठायेंगे।

किसी भी देश को दी गई सैनिक सहायता के दो अभिप्राय हो सकते हैं—आन्तरिक कार्यों के लिये अथवा वैदेशिक हितों के लिये। आन्तरिक कार्यों के लिये सैनिक सहायता अत्यन्त जघन्य कृत्य है क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी देश इसे एक क्षण के लिये भी सहन नहीं कर सकता। अतः यह वैदेशिक कार्यों के लिये हो सकती है। पाकिस्तान के लिये कोई भी बाहरी खतरा भारत और पाकिस्तान के लिये समान रूप से एक ही खतरा है। ऐसी स्थिति में उन्हें भारत के सहयोग से यह काम करना चाहिये था। यह दर असल आश्चर्य की बात है कि जब दोनों प्रधानमंत्रियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में परस्पर वार्ता चल रही थी तो पाकिस्तान अमरीका से सैनिक गठबन्धन की बातचीत करने लगा है। मैं इस प्रस्तावित सैनिक गठबन्धन पर विस्तृत रूप से नहीं बोलूंगा। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि पाकिस्तान के लिये इस प्रकार के गठबन्धन में साझीदार बनना विवेकहीन कार्य है। अमरीका को पैर जमाने देने का अवसर देना भारत जैसे पड़ोसी देश के लिये भी खतरनाक है। हम जानते हैं कि विगत युद्ध के पूव अमरीका पथृक वाद की नीति का अनुसरण करता था लेकिन अब वह नीति समाप्त हो चुकी है। अब उसे युद्ध-लोलुप कहना गलत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस सौजन्यता के साथ दोनों देशों में बातचीत चल रही है, उसे देखते हुए पाकिस्तान अब भी अपनी घातक नीति से विरत हो जायगा। इस तरह का सुझाव भी रखा गया है कि यदि पाकिस्तान अमेरिका से सैनिक गठबन्धन करता है तो भारत को भी रूस और चीन से इसी प्रकार की सन्धि कर लेना चाहिये। किन्तु इस से अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है। वास्तव में यदि पाकिस्तान और भारत को कोई खतरा हो सकता है तो इन्हीं क्षेत्रों से। इसीलिये मैं ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का समान हित दोनों के मिल जुल कर काम करने में है। इन दोनों देशों के पास यथेष्ट जनशक्ति और प्राकृतिक खनिज हैं। पाकिस्तान को इतिहास से शिक्षा ले कर इस गठबन्धन से अलग होना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि इस घटना को देखते हुए भारत को एकदम अपने रक्षा कार्यक्रम को संगठित कर के आकस्मिक स्थिति के लिये उद्यत रहना चाहिये। भारत को किसी भी आक्रान्ता के विरुद्ध तैयार रहना चाहिये, भले ही वह वर्तमान गठबन्धन से उत्पन्न हुआ हो अथवा अन्य किसी कारण से।

मैं एक अन्य विषय के सम्बन्ध में कुछ शब्द और कहना चाहता हूं जिस पर काफी

(श्री पोकर साहेब)

वादविवाद हो चुका है और वह है कुंभ मेले की दुर्घटना। एक समिति नियुक्त कर दी गई है और वह इस विषय की जांच करेगी। हमें उस के निष्पक्ष प्रतिवेदन तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतिवेदन के पश्चात् ही हम इस बात पर विचार करेंगे कि दुर्घटना का उत्तरदायित्व किस पर है। मैं केवल एक बात कहूंगा।

७ मं० प०

एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि उन्हें महारानी के राज्याभिषेक पर लन्दन जाने का अवसर मिला। उन्हों ने उस समय की और कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की तुलना की और अन्त में कहा कि मेले की व्यवस्था सन्तोषजनक थी। लेकिन उन्हों ने यह सुझाव भी दिया कि भविष्य में इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी आवश्यक है। कुछ भी हो, यह दुःखद घटना जिस से सारे भारत पर वज्रापात-सा हो गया था, मध्यान्ह पूर्व घटी थी और प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा यह व्यक्त भी किया गया था कि संध्या में भी उन्हें यह बात मालूम नहीं हुई। यह अत्यन्त असन्तोषजनक स्थिति है। यह एक ऐसा विषय है जिस के सम्बन्ध में हम सरकार से स्पष्टीकरण की आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वह इस विषय में गम्भीर कार्यवाही करेगी। मुझे नहीं मालूम कि क्या यह भी समिति का विचारगत विषय है।

मुझे केवल एक बात और कहनी है। हमें स्वतंत्रता मिल गई है और वयस्क मताधिकार का अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ है। गत साधारण निर्वाचन ने यह सिद्ध कर दिया कि यद्यपि अधिकांश देशवासी अशिक्षित हैं लेकिन वे अपने मताधिकार की पवित्रता और महत्व से पूर्णतया परिचित हैं। हमारा भविष्य मताधिकार के प्रयुक्त करने की पद्धति से सम्बन्धित है अतः केन्द्रीय सरकार को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये। इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस योजना को क्रियान्वित करने में वित्तीय उत्तरदायित्व के साथ-साथ दूसरे गहरे उत्तरदायित्व की भी आवश्यकता है परन्तु मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य को अपने हाथ में ले कर समस्या को हल करेगी।

इसके पश्चात् सभा शुक्रवार, १९ फरवरी, १९५४ के दिन के दो बजें तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—710 PSD—5 5 54—285